

**जितेन्द्र नाथ सिंह
बनाम
ऑफिशियल लिक्विडेटर एवं अन्य**

(सिविल अपील संख्या 6755 / 2012)
21 सितम्बर, 2012

**[एस.एच. कपाड़िया, सी.जे.आई., ए.के. पटनायक एवं
स्वतंत्र कुमार, न्यायाधीशगण]**

कंपनी अधिनियम, 1956 - धारा 529 प्रावधान और धारा 529 ए - परिसमापन के तहत कंपनी - सुरक्षित लेनदारों का अधिकार - असुरक्षित परिसंपत्तियों पर - धारित: परिसमापन के तहत एक कंपनी के सुरक्षित लेनदारों का केवल सुरक्षित परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, सभी परिसंपत्तियों पर नहीं - हालांकि, उन्हें असुरक्षित परिसंपत्तियों पर भी, बकाया राशि के संबंध में कर्मचारियों के साथ समान आधार पर अधिमान्य दावा प्राप्त होगा, जो धारा 529 (1) के प्रावधान के पहले भाग में कर्मचारियों के पक्ष में बनाए गए वैधानिक शुल्क के कारण वसूल नहीं किया जा सका और अन्य सभी ऋणों के साथ कर्मचारियों के बकाया के साथ भुगतान किया जाना आवश्यक है। धारा 529-ए के तहत।

शब्द और वाक्यांश:

'लेनदार' और 'सुरक्षित लेनदार' - कंपनी अधिनियम, 1956 के संदर्भ में अर्थ। परिसमापन के अंतर्गत कंपनी की संपत्ति और आस्तियों को आधिकारिक परिसमापक द्वारा बेचा गया था। सुरक्षित और असुरक्षित आस्तियों को अलग-अलग बेचा गया था और दोनों के लिए अलग-अलग खाते बनाए गए थे। सुरक्षित लेनदारों से बिक्री आय को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 के अनुसार सुरक्षित लेनदारों और कर्मचारियों के बीच वितरित किया गया था। असुरक्षित आस्तियों की बिक्री आय के संबंध में, कर्मचारियों का दावा था कि कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए के अनुसार अन्य सभी दावेदारों की तुलना में उनके शेष दावे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी ओर सुरक्षित लेनदारों ने तर्क दिया कि वैधानिक प्रावधान के अनुसार और इस तथ्य के मद्देनजर कि उन्होंने कर्मचारियों के पक्ष में अपनी सुरक्षा छोड़ दी थी, उनके पास असुरक्षित आस्तियों की बिक्री आय पर भी समान प्रभार था। कर्मचारियों के दावे को कंपनी न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए और मामले को कंपनी न्यायालय को भेजते हुए,
न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :

बहुमत से: [ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ति (स्वयं तथा एस.एच. कपाड़िया, मुख्य न्यायाधीश) द्वारा]

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 की उपधारा (1) के खंड (सी) को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दिवालिया कंपनी के परिसमापन में सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकारों के संबंध में वही नियम लागू होंगे और उनका पालन किया जाएगा जो दिवालिया घोषित किए गए व्यक्तियों की संपदा के संबंध में दिवालियापन कानून के तहत फिलहाल लागू हैं। इसका मतलब यह होगा कि दिवालिया कंपनी, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, के सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार वही होंगे जो दिवालिया घोषित किए गए व्यक्तियों की संपदा के संबंध में सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार दिवालियापन कानून के तहत लागू हैं। झारखंड राज्य में प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, 1920 लागू है और तदनुसार परिसमापन की जा रही दिवालिया कंपनी की परिसंपत्तियों के संबंध में सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार दिवालियापन अधिनियम के समान होंगे। कंपनी अधिनियम में 'लेनदार' और 'सुरक्षित लेनदार' की परिभाषा नहीं दी गई है। दिवाला अधिनियम की धारा 2(1)(ए) और धारा 2(1)(ई) में 'लेनदार' और 'सुरक्षित लेनदार' शब्दों को परिभाषित किया गया है। सुरक्षित लेनदार का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो देनदार की संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर देनदार से बकाया ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में बंधक, भार या ग्रहणाधिकार रखता है। इसका परिणाम यह है कि धारा 529(1)(सी) में 'सुरक्षित लेनदार' शब्द का अर्थ होगा ऐसा व्यक्ति जो कंपनी की संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर कंपनी से बकाया ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में बंधक, भार या ग्रहणाधिकार रखता है। इसलिए, जहां कोई ऋणदाता, जैसे कि इस मामले में बैंक या वित्तीय संस्थान, कंपनी की संपत्ति या उसके किसी भाग पर कंपनी से बकाया ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में कोई बंधक, प्रभार या ग्रहणाधिकार नहीं रखता है, वह कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529 ए के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित ऋणदाता नहीं है। [पैरा 5] [390-डी-एच; सी-एफ]

2. एक असुरक्षित लेनदार दिवालियापन अधिनियम की धारा 45 के तहत अन्य लेनदारों के साथ समान रूप से लाभांश प्राप्त करने का हकदार है, जबकि सुरक्षित लेनदार को दिवालियापन अधिनियम की धारा 47 के तहत सुरक्षा की वसूली करने और उसके कारण शेष राशि को साबित करने का अधिकार है, यदि ऐसी सुरक्षा की वसूली पर वह उसके कारण पूरी राशि वसूल करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, अगर सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा को वसूलने का विकल्प नहीं चुनता है, लेकिन लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए इसे त्याग देता है, तो वह अपने पूरे ऋण के लिए साबित कर सकता है। इसलिए, दिवालियापन अधिनियम के तहत, सुरक्षित लेनदार के पास केवल उस विशेष संपत्ति पर अधिकार है जो उसे सुरक्षा के रूप में पेश की गई है और सभी लेनदारों के पास दिवालिया घोषित व्यक्ति की संपत्ति में शामिल अन्य संपत्तियों पर समान अधिकार हैं। [पैरा 6] [392-जी-एच; 393-ए-बी]

3. कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के खंड (सी) के परंतुक का पहला अंग प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति पर कामगारों के हिस्से की सीमा तक एक वैधानिक भार बनाता है। दूसरे शब्दों में, दिवालिया कंपनी की प्रत्येक संपत्ति या परिसंपत्ति, जिसका समापन किया जा रहा है और जिसे सुरक्षित लेनदार को प्रतिभूति के रूप में पेश किया गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के आधार पर कामगारों के हिस्से की सीमा तक कामगारों के पक्ष में वैधानिक रूप से एक समान भार के अधीन है। इसलिए, धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक का पहला अंग कंपनी की संपत्ति या परिसंपत्ति पर सुरक्षित लेनदार के पक्ष में एक समान भार नहीं बनाता है, जिसे कंपनी द्वारा सुरक्षित लेनदार को प्रतिभूति के रूप में नहीं दिया गया है। [पैरा 8] [393-जी-एच; 394-सी]

4. कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक का दूसरा भाग उन परिणामों का वर्णन करता है, जो तब होंगे, जब कोई सुरक्षित ऋणदाता अपनी प्रतिभूति छोड़ने और अपने ऋण को साबित करने के बजाय अपनी प्रतिभूति वसूलने का विकल्प चुनता है। ये परिणाम हैं: (क) परिसमापक 1कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने और ऐसे भार को लागू करने का हकदार होगा; (ख) ऐसे भार को लागू करने के माध्यम से परिसमापक द्वारा वसूल की गई कोई भी राशि कर्मकारों के बकायों के निर्वहन के लिए समान रूप से लागू की जाएगी; और (ग) ऐसे सुरक्षित ऋणदाता को देय ऋण का वह हिस्सा, जो इस परंतुक के पूर्वगामी उपबंधों के आधार पर उसके द्वारा वसूल नहीं किया जा सका या उसकी प्रतिभूति में कर्मकारों के हिस्से की राशि, जो भी कम हो, कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए कर्मकारों के बकायों के साथ समतुल्य होगी। इस प्रकार, इस प्रावधान का खंड (सी) कंपनी की उन संपत्तियों या परिसंपत्तियों पर समान प्रभार नहीं बनाता है, जिन्हें प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित लेनदार को पेश नहीं किया गया है, लेकिन किसी विशेष सुरक्षित लेनदार द्वारा श्रमिकों के पक्ष में बनाए गए वैधानिक प्रभार के कारण सुरक्षा के नुकसान की सीमा तक, सुरक्षित लेनदार को कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए के तहत अधिभावी अधिमान्य भुगतान के लिए श्रमिकों के साथ समान दर्जा दिया गया है। [पैरा 9] [394-डी-एफ, एच; 395-ए-बी]

5. कंपनी अधिनियम की धारा 529ए में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी कंपनी के समापन में - (ए) श्रमिकों की बकाया राशि; और (बी) सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण, इस सीमा तक कि ऐसे ऋण कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उप-धारा (1) के प्रावधान के खंड (सी) के तहत ऐसे बकाया के साथ समान रूप से आते हैं, अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता से चुकाए जाएंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 529ए का पूरा उद्देश्य (1) श्रमिकों की बकाया राशि और (2) सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण का अधिभावी तरजीही भुगतान सुनिश्चित करना है, इस सीमा तक कि ऐसे ऋण धारा 529 की उप-धारा (1) के प्रावधान के खंड (सी) के तहत श्रमिकों की बकाया राशि के साथ समान रूप से आते हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के आरंभिक भाग में गैर-बाधा खंड का प्रभाव यह है कि कंपनी अधिनियम और दिवाला अधिनियम सहित

किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कर्मकारों के बकाया और सुरक्षित लेनदार के बकाया जो धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत कर्मकारों के पक्ष में समान प्रभार के कारण वसूल नहीं किए जा सके और केवल उस सीमा तक जहां ऐसे बकाया उक्त परंतुक के खंड (सी) के अंतर्गत कर्मकारों के बकाया के साथ समान रैंक के हैं, अन्य सभी बकाया पर प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किए जाएंगे। केवल वहीं जहां धारा 529 की उपधारा (1) के खंड (सी) के परंतुक के दूसरे भाग के अंतर्गत सुरक्षित लेनदार सुरक्षा को वसूलने का विकल्प चुनता है और परंतुक के पहले भाग के अंतर्गत कामगारों के पक्ष में बनाए गए समान प्रभार के कारण अपनी देयताओं के एक हिस्से को वसूलने में असमर्थ होता है, उसके पास धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (सी) में इंगित सीमा तक समान प्रभार होता है और केवल सुरक्षित लेनदार को देय ऐसे ऋणों का भुगतान कंपनी के अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना होता है, जो धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (सी) के अंतर्गत कामगारों की देयताओं के समान रैंक में आते हैं। उच्च न्यायालय यह मानकर स्पष्ट रूप से गलती कर बैठा है कि सुरक्षित लेनदारों को देय सभी ऋण कामगारों की देयताओं के समान रैंक में आएंगे और उनका भुगतान कंपनी के अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता के आधार पर कामगारों की देयताओं के साथ किया जाना होता है। [पैरा 10 और 15] [395-बी-जी; 401-सी-ई]

6. अपीलकर्ता-कर्मचारी द्वारा कंपनी न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन, जिसमें सुरक्षित ऋणदाताओं सहित अन्य सभी दावेदारों के बजाय कंपनी की असुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री आय से उनके शेष दावे की संतुष्टि के लिए प्रार्थना की गई है, को स्थगित किया जाता है और मामले को वर्तमान निर्णय में निर्धारित कानून के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेने के लिए कंपनी न्यायालय को भेजा जाता है। [पैरा 16] [401-एफ-जी] इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य (2000) 4 एससीसी 406: 2000 (2) एससीआर 1102; आंध्र बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य (2005) 5एससीसी 75: 2005 (2) एससीआर 776 - संदर्भित

अल्पसंख्यकों के लिए: [स्वतंत्र कुमार, जे. द्वारा]

1.1 वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के निर्णय में, जहां तक उसका यह दृष्टिकोण है कि श्रमिकों और सुरक्षित लेनदारों के आरोपों को समान माना जाना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं हो सकती। [पैरा 32] [383-जी]

1.2 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के माध्यम से, धारा 529ए, साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529(1) के प्रावधान को शामिल किया गया। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि कंपनी के समापन की स्थिति में, श्रमिकों के बकाया को सुरक्षित लेनदारों के बराबर और यहां तक कि सरकार के बकाया से भी ऊपर रखा जा सकता है। विधायी इरादा यह प्रतीत होता है कि सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों के बकाया को दूसरों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, हालांकि, वे एक दूसरे के लिए समान रहेंगे। कानून के निर्माताओं का यह इरादा नहीं था कि किसी सुरक्षित लेनदार को उसके बकाया या श्रमिकों के प्रभार से वंचित किया जाए, जब तक कि इसे सुरक्षित लेनदार द्वारा विशेष रूप से छोड़ नहीं दिया गया हो। [पैरा 9] [358-डी-एफ]

1.3 अधिनियम की धारा 529 का प्रावधान कानून में एक काल्पनिक कल्पना बनाता है और यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक सुरक्षित ऋणदाता की सुरक्षा, उसके अंतर्गत कर्मचारी के हिस्से की सीमा तक, कामगारों के पक्ष में समान प्रभार के अधीन मानी जाएगी। इस कल्पना का उद्देश्य कामगारों को उनके बकाए की वसूली के लिए एक अधिमान्य अधिकार देना है। धारा 529(1) के प्रावधान में प्रकट होने वाले 'कामगारों के हिस्से' की व्याख्या अधिनियम की धारा 529(3) के खंड (सी) के तहत की गई है। किसी कंपनी के किसी सुरक्षित ऋणदाता की सुरक्षा के संबंध में कामगारों के हिस्से का अर्थ है वह राशि जो सुरक्षा के मूल्य के साथ उसी अनुपात में होती है जैसे कामगारों के बकाए की राशि कामगारों के बकाए की राशि और सुरक्षित ऋणदाताओं को देय ऋणों की राशि के योग से होती है। कामगारों के हिस्से की गणना उस प्रावधान में दिए गए उदाहरण की सहायता से की जानी है। इस प्रकार, प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति, कानून की कल्पना के अनुसार, श्रमिकों के हिस्से की सीमा तक श्रमिकों के पक्ष में एक समान प्रभार के अधीन है और जहां सुरक्षित लेनदार, अपनी प्रतिभूति को त्यागने और अपने ऋण को साबित करने के बजाय, अपनी प्रतिभूति को वसूलने का विकल्प चुनता है, उस स्थिति में, ऐसे सुरक्षित लेनदार को देय ऋण का उतना हिस्सा, जो श्रमिकों के पक्ष में समान प्रभार के आधार पर उसके द्वारा वसूल नहीं किया जा सका या उसकी प्रतिभूति में श्रमिकों के हिस्से की राशि, जो भी कम हो, धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए श्रमिकों की देयताओं के साथ समान होगी। अधिनियम की धारा 529ए गैर-बाधित खंड के साथ शुरू होती है, जो श्रमिकों की देयताओं और सुरक्षित लेनदारों की देयताओं को, जैसा कि धारा 529(1) के प्रावधान के तहत परिभाषित किया गया है, देयताओं के भुगतान की प्राथमिकता के मामले में अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ किसी भी अन्य कानून पर एक अधिभावी प्रभाव देती है। अधिनियम की धारा 529ए का अनुप्रयोग धारा 529 सहित अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर निर्भर नहीं है, सिवाय धारा 529, परंतु (सी) में निर्दिष्ट सीमा तक। इसलिए, यह दिवाला अधिनियम की धारा 47 सहित वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून द्वारा लगाई गई सीमा पर निर्भर नहीं है। धारा 529ए के अनिवार्य प्रारंभिक शब्दों का उद्देश्य अधिनियम की धारा 530 के तहत परिकल्पित 'अधिमान्य भुगतान' के विपरीत 'अधिमान्य अधिमान्य भुगतान' को वरीयता देना है। [पैरा 12 और 13] (367-एफ-एच; 368-ए-एफ)

1.4 एक बार जब धारा 529 के प्रावधान और उसके खंड (ए) से (सी) की सामग्री संतुष्ट हो जाती है, तो सुरक्षित लेनदार प्रावधानों को लागू करने और धारा 529ए(i) के लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो समान प्रभार के अधीन होगा और उसमें बताई गई प्राथमिकता के अनुसार होगा। हालांकि, कामगारों के बकाया को केवल अधिमान्य खंड में नहीं रखा गया है। धारा 529ए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'और' है, जिसका अर्थ है कि धारा के खंड (ए) और (बी) के तहत बताई गई बकाया राशि समान रहेगी। लेकिन यह सुरक्षित लेनदारों की संपूर्ण बकाया राशि नहीं है जिसे अन्य बकाया राशि पर वरीयता मिलेगी और जो कामगारों को देय प्रभारों के साथ समान रहेगी। उनकी बकाया राशि केवल उन ऋणों की सीमा तक सीमित है जो धारा 529 की उप-धारा (1) के प्रावधान के खंड (सी) के तहत सुरक्षित लेनदारों को देय हैं जो ऐसी

बकाया राशि के साथ समान हैं। यहाँ 'ऐसी बकाया राशि' शब्द का तात्पर्य कामगारों की बकाया राशि से है। [पैरा 14] [368-एच; 369-बी-डी]

1.5 धारा 529 और 529ए की भाषा को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि धारा 529ए के प्रावधानों के तहत सुरक्षित लेनदारों को देय पूरी या अप्राप्त राशि संरक्षित नहीं है और यह कामगारों के प्रभारों के साथ समरूप है, बल्कि धारा 529(1) के प्रावधान के तहत छोड़ी गई राशि या अंश ही संरक्षित है, जो भी कम हो। इन दोनों प्रावधानों के आवेदन में एक सीधा संबंध है। वर्तमान प्रकार की स्थिति में, इन प्रावधानों को सामूहिक रूप से लागू करना होगा और वह भी विधायी मंशा की सही सराहना पर। [पैरा 14] [369-ई-एफ, जी]

1.6 अधिनियम के साथ-साथ दिवालियापन अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के संचयी पढ़ने से यह स्पष्ट है कि न तो विधानमंडल का इरादा था और न ही यह समझा जा सकता है कि जहां कोई कार्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के पूर्ण पालन में किया जाता है, वह केवल इसलिए दो अलग-अलग परिणामों को जन्म दे सकता है क्योंकि ऐसा कार्य विभिन्न मंचों/न्यायालय के समक्ष किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 529 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करते हुए कंपनी न्यायालय के अलावा किसी अन्य मंच के समक्ष अपनी सुरक्षा प्राप्त करता है, तो धारा 529ए के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि वह कंपनी न्यायालय के समक्ष समान शर्तों पर कार्य करता है और समापन के बाहर अपने उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और समापन कार्यवाही में अपनी बिक्री आय को सामान्य हॉच पॉट में डाले बिना, वह धारा 529ए के लाभों का हकदार नहीं होगा। यह और भी अधिक इसलिए है क्योंकि किसी अन्य मंच के समक्ष सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षा की बिक्री भी कंपनी न्यायालय की स्वीकृति के बिना पूरी नहीं की जा सकती है। कंपनी न्यायालय को अधिनियम की धारा 446 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में ऐसी कार्यवाही को स्थानांतरित करने का अधिकार भी दिया गया है। न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने मात्र से सुरक्षित लेनदार को वैधानिक लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा। बेशक, स्थिति पूरी तरह से अलग होगी जहां सुरक्षित लेनदार दिवालियापन अधिनियम की धारा 47(1) के प्रावधानों की योजना का पालन नहीं करता है जिसे अधिनियम की धारा 529 और 529ए के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन बिक्री की आय को समापन कार्यवाही में एक आम गड़बड़ी में डाल देता है या यहां तक कि बड़े पैमाने पर लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए सुरक्षा को त्याग देता है, तो लेनदार धारा 529ए के लाभ का हकदार नहीं होगा और कंपनी के असुरक्षित लेनदारों के साथ खड़ा होगा। इसके अलावा, जहां सुरक्षित लेनदार धारा 529(1) के प्रावधान के अनुसार कामगारों के हिस्से के लिए अपनी सुरक्षा से हिस्सा लेने के कारण अपने बकाए को पूरी तरह से वसूल करने में असमर्थ रहा है, तो निर्दिष्ट सीमा तक, सुरक्षित लेनदार धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए कामगारों के बकाए के साथ समरूप प्रभार का हकदार है। [पैरा 15] [370-सी-जी; 371-ए-डी]

1.7 धारा 529(1) के प्रावधान में दो विषय-वस्तुएँ हैं जिन्हें संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। पहला, यह श्रमिकों के पक्ष में सुरक्षित ऋणदाता की सुरक्षा पर कानूनी कल्पना द्वारा एक समान प्रभार बनाता है और दूसरा, जहाँ सुरक्षित ऋणदाता अपनी सुरक्षा

छोड़ने और अपने ऋणों को साबित करने के बजाय अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने का विकल्प चुनता है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'और' को संयुक्त रूप से पढ़ा और समझा जाना चाहिए, न कि वियोजनात्मक रूप से। शब्द 'और' प्रावधान और उप-खंड (ए) से (सी) के लागू होने के लिए दो विशिष्ट शर्तों को निर्दिष्ट करता है। प्रावधान के खंड (ए) और (बी) श्रमिकों के पक्ष में वैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए परिसमापक को प्रतिनिधित्व का अधिकार देते हैं, जो श्रमिकों के बकाया के हिस्से की सीमा तक है। धारा 529(1) के प्रावधान का खंड (सी) उस राशि में कमी की भरपाई करने का तरीका प्रदान करता है जिसे सुरक्षित लेनदार सुरक्षा की बिक्री और समरूप प्रभार के निर्माण पर खो देता है। ऐसी वसूली फिर से समरूप है और कामगारों के बकाया की राशि की सीमा तक सीमित है। सुरक्षा की वसूली समापन के बाहर की कार्यवाही में हो सकती है, यानी किसी विशेष मंच के समक्ष या अन्यथा या यह समापन में हो सकती है लेकिन सामान्य लेनदारों के लाभ के लिए नहीं बल्कि अधिनियम की धारा 529(1) के प्रावधान के अनुपालन में। ऐसी दोनों स्थितियों में, सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 529ए(1) के तहत परिकल्पित अधिमान्य भुगतान के संरक्षण और अधिकार का हकदार होगा। [पैरा 16] [371-ई-एच; 372-ए-सी]

1.8 योजना और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि एक सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा को त्याग सकता है, समापन कार्यवाही में भाग ले सकता है और जब भी आमंत्रित किया जाता है, आधिकारिक परिसमापक के समक्ष अपना दावा दायर कर सकता है। सुरक्षित लेनदारों और कामगारों की बकाया राशि उनके निर्वहन के वरीयता क्रम के संबंध में समान होगी। यह अधिनियम की धारा 529 और 529 ए में बताई गई शर्तों को पूरा करने के अधीन है। धारा 529 की उप-धारा (1) का प्रावधान, एक काल्पनिक कल्पना द्वारा, कामगारों की बकाया राशि को सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि के साथ समान बनाता है और ऐसी सुरक्षा के प्रवर्तन से प्राप्त राशि पर कामगारों के पक्ष में, उसमें कामगारों के हिस्से की सीमा तक एक प्रभार बनाता है। धारा 529 की उपधारा (3) (सी) के तहत 'कर्मचारियों के हिस्से' की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार कंपनी के किसी भी सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा के संबंध में, कामगारों के हिस्से का अर्थ वह राशि होगी जो सुरक्षा के मूल्य के साथ उसी अनुपात में होगी जैसा कि कामगारों के बकाया की राशि कामगारों के बकाया की राशि और सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों की राशि के योग से होती है। इस उपधारा का उदाहरण उस तरीके को प्रदान करता है जिसमें कामगारों के हिस्से की गणना की जानी है। एक बार जब कामगारों के हिस्से की गणना हो जाती है, तो धारा 529ए के अनुसार, इसे फिर से सुरक्षित लेनदार के ऋणों के बराबर भार के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तरार्द्ध के मामले में, भार उस सीमा तक सीमित होगा, जहां तक ऐसा ऋण धारा 529 की उपधारा (1) के प्रावधान के खंड (सी) के तहत अधिमान्य भुगतान के लिए ऐसे बकाया के साथ बराबर है। कामगारों और सुरक्षित लेनदारों को देय बकाया राशि का भुगतान अन्य सभी ऋणों से पहले किया जाना चाहिए। लेकिन सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि अधिनियम की धारा 529 के तहत कामगारों के पक्ष में सुरक्षा छोड़ने के बाद अप्राप्त राशि से अधिक नहीं होगी। [पैरा 23] [378-ए-जी]

1.9 किसी सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षा का त्याग करने के लिए निश्चित रूप से उसके द्वारा आधिकारिक परिसमापक द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में केवल दावा दायर करने से कहीं अधिक कुछ सचेत कार्य की आवश्यकता होती है। एक बार जब सुरक्षित लेनदार परिसमापक के माध्यम से सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री जैसी आगे की कार्रवाई करता है और उस स्थिति में कंपनी न्यायालय के नियंत्रण के अधीन होता है, तो वह अधिनियम की धारा 529 और 529 ए के तहत तर्कसंगत रूप से भुगतान की योजना का हिस्सा होगा। (पैरा 24) [378-एच; 379-ए-बी]

1.10 एक सुरक्षित लेनदार, जिसके पास समापन में कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार है, केवल उस उपाय को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाए बिना और अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए बिना ओ.आर.टी. या किसी अन्य विशेष मंच के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने से समापन कार्यवाही से बाहर नहीं होगा। यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री कंपनी न्यायालय के नियंत्रण के अधीन आधिकारिक परिसमापक द्वारा की जाती है और ऐसी राशियों का उपयोग सुरक्षित लेनदार के ऋणों के साथ-साथ धारा 529 और 529 ए के तहत बनाए गए श्रमिकों के वैधानिक प्रभार के निर्वहन के लिए किया जाता है, तो, प्रभावी रूप से, सुरक्षित लेनदार को समापन कार्यवाही में भाग लेने वाला माना जाएगा और उससे बाहर नहीं होगा। यह इस कारण से है कि एक सुरक्षित लेनदार को अपने कानूनी अधिकार की रक्षा करने और दावे को समय से बाधित होने से बचाने के लिए किसी अन्य मंच के समक्ष याचिका दायर करके कदम उठाने पड़ते हैं। इसके विपरीत, यदि वह कंपनी कानून के चारों कोनों में अपनी सुरक्षा का एहसास करता है, यानी आधिकारिक परिसमापक और कंपनी न्यायालय के समक्ष, उस स्थिति में यह मानना संभव नहीं होगा कि ऐसे सुरक्षित लेनदार ने समापन कार्यवाही में भाग लेने का अपना विकल्प छोड़ दिया है। हालाँकि, मामला बिलकुल अलग होगा जहाँ सुरक्षित लेनदार न केवल विशेष मंच के समक्ष याचिका दायर करने का चुनाव करता है बल्कि अपनी सुरक्षा का एहसास करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाता है और कार्यवाही को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाता है, ऐसी स्थिति में, निष्कर्ष यह होना चाहिए कि ऐसा सुरक्षित लेनदार 'समापन' कार्यवाही से बाहर खड़ा है। (पैरा 27) (379-एच; 380-ए-ई]

1.11 एक सुरक्षित लेनदार जो दावा पेश करने के बाद, लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों के बाहर उपाय किए बिना, आधिकारिक परिसमापक के समक्ष दावा दायर करता है, अपनी सुरक्षा छोड़ देता है और आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से बिक्री आय के वितरण के लिए सहमत होता है, कंपनी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन, हमेशा 'समापन कार्यवाही के बाहर नहीं खड़ा' कहा जा सकता है। हालाँकि, जहाँ वह एक याचिका पेश करता है, उसके साथ आगे बढ़ता है और कंपनी न्यायालय के बाहर एक मंच के समक्ष सुरक्षा की वसूली चाहता है, तो वह स्पष्ट रूप से केवल एक दावा दायर करने से परे उपाय करता है और वह 'समापन कार्यवाही के बाहर खड़ा' व्यक्ति होगा और अधिनियम की धारा 529 के प्रावधान के अनुसार आधिकारिक परिसमापक द्वारा लागू अधिकारों के अधीन होगा। सुरक्षित लेनदार को समापन याचिका में भाग लेने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने होंगे। (पैरा 28) (380-ई-एच; 381-ए)

1.12 धारा 529(1) के प्रावधान में वर्णित दोहरी आवश्यकताओं के संतुष्ट हो जाने पर, धारा 529 के प्रावधान के खंड (सी) के अंतर्गत परिकल्पित योजना धारा 529ए के साथ लागू होगी। न्यायालय इस वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि कानून के निर्माताओं का इरादा यह नहीं हो सकता था कि सार्वजनिक निधियों, उदाहरण के लिए, सुरक्षित लेनदारों (जैसे बैंक) के धन को सामान्य रूप से लेनदारों के लाभ के लिए पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए, भले ही कानून में एक निश्चित सुरक्षा हो, खासकर तब, जब सुरक्षा ऐसे सुरक्षित लेनदारों के बकाए की वसूली के लिए सीमित सीमा तक, यदि पूरी तरह से नहीं, पर्याप्त हो सकती है। इस प्रकार, इन प्रावधानों की योजना को व्यावहारिक बनाने और स्वीकृत वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुरूप समझने की आवश्यकता है। कामगारों के शुल्क के साथ-साथ सुरक्षित लेनदारों के शुल्क को अन्य सभी के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन सुरक्षा की बिक्री या अन्यथा से प्राप्त राशि पर परस्पर समान प्रभार के साथ। (पैरा 30) [381-एच; 382-ए-डी]

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम सिडको लेदर्स लिमिटेड और अन्य (2006) 10 एससीसी 452: 2006 (1) अनुपूरक एससीआर 528 • पर भरोसा किया गया।

इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य (2000) 4 एससीसी 406: 2000 (2) एससीआर 1102 • लागू नहीं माना गया।

2.1 उच्च न्यायालय ने एक ओर कामगारों और दूसरी ओर सुरक्षित लेनदारों के बीच शेयरों की गणना और समायोजन के संबंध में विधि की त्रुटि की है। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सुरक्षित लेनदारों से वसूल की गई राशि को कामगारों और सुरक्षित लेनदारों के बीच उनके संबंधित स्वीकृत दावों के 50 प्रतिशत के बराबर अनुपात में वितरित करने का निर्देश दिया। यह आदेश और गणना उपरोक्त प्रावधानों की मूल योजना के विपरीत है, विशेष रूप से कामगारों के हिस्से के निर्धारण के संबंध में। रिकॉर्ड से गणना में एक और त्रुटि यह दिखाई देती है कि हालांकि सुरक्षित परिसंपत्तियों से कुल बिक्री आय 108.90 करोड़ रुपये थी, न्यायालय ने केवल 101 करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश दिया जो कि कामगारों और सुरक्षित लेनदारों को भुगतान की जाने वाली निर्देशित राशि का योग है। इस प्रकार, इस संबंध में वैधानिक प्रावधानों को लागू करने में विधि की त्रुटि हुई है। उच्च न्यायालय ने यह ध्यान न देकर गलती की कि कंपनी न्यायालय ने कानून के अनुसार गणना और संगणना नहीं की है। कंपनी न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय को धारा 529(1) और धारा 529(3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार कामगारों के हिस्से पर विचार करना चाहिए था और उसके बाद अधिनियम की धारा 529ए और 530 के अनुसार अन्य सभी असुरक्षित लेनदारों के संबंध में इसके अधिभावी तरजीही भुगतान पर विचार करना चाहिए था। इस प्रकार, राशियों को उपरोक्त प्रावधानों और यहां वर्णित कानून के अनुसार पुनर्गणना करने की आवश्यकता है। [पैरा 32] [383-एच; 384-ए-ई]

2.2 वर्तमान मामले में, सुरक्षित लेनदार ने अपनी सुरक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए समापन कार्यवाही के सामान्य हॉच पॉट में सुरक्षा या उसकी रसीदें डाले बिना। इस प्रकार, दिवालियापन अधिनियम की धारा 47(1) के

अनुसार, वर्तमान मामले में सुरक्षित लेनदार, प्राप्त की गई शुद्ध राशि को घटाकर, उसे देय शेष राशि का हकदार है। यदि सुरक्षित लेनदार ने लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए सुरक्षा प्राप्त करने और/या त्यागने के साथ समापन कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लिया होता और अधिनियम की धारा 529 के अनुपालन तक सीमित नहीं होता, तो वह अधिनियम की धारा 529ए के लाभ का हकदार नहीं होता। पार्टियों की सहमति से, राशियाँ पहले ही अधिनियम की धारा 529 के अनुसार श्रमिकों और सुरक्षित लेनदारों द्वारा वितरित और उपयोग की जा चुकी हैं, जो न्यायालय के आदेशों के अनुसार समायोजन के अधीन हैं। [पैरा 33] (384-एफ-एच; 385-ए-बी]

2.3 उच्च न्यायालय को ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित लेनदारों और कामगारों के बीच समान रूप से देय राशि की पुनः गणना करनी चाहिए। इसलिए, मामले को कंपनी न्यायालय को भेज दिया जाता है ताकि वह ऊपर बताए गए सिद्धांतों को लागू करे और संबंधित पक्षों को देय राशि की गणना नए सिरे से और कानून के अनुसार करे। [पैरा 33 और 34] (385-सी-डी]

3. बाध्यकारी मिसाल के आवश्यक तत्वों को संतुष्ट करने के लिए, न्यायालय को सीधे ऐसे मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसे बाध्यकारी मिसाल का रंग देने के लिए उचित तर्क द्वारा निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। [पैरा 18] [374-डी]

आंध्र बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक (2005) 5 एससीसी 75: 2005 (2) एससीआर 776 - पर भरोसा किया गया।

यूसीओ बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक, उच्च न्यायालय, बॉम्बे और अन्य (1994) 5 एससीसी 1: 1994 (1) अनुपूरक एससीआर 294 ए.पी. वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक (2000) 7 एससीसी 291: 2000 (2) अनुपूरक एससीआर 288 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ:

ए.के. पटनायक, जे. के निर्णय में:

2000 (2) एस.सी.आर. 1102

पैरा 13 को संदर्भित

2005 (2) एस.सी.आर. 776

पैरा 14 को संदर्भित

स्वतंत्र कुमार, जे. के निर्णय में:

2005 (2) एस.सी.आर. 776

पैरा 14, 15, 19 पर निर्भर

2000 (2) एस.सी.आर. 1102

पैरा 17 को अनुपयुक्त माना गया

1994 (1) अनुपूरक एस.सी.आर. 294

पैरा 22 को संदर्भित

2000 (2) अनुपूरक एस.सी.आर. 288

पैरा 22 को संदर्भित

2006 (1) अनुपूरक एस.सी.आर. 52ए पैरा 28 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की सिविल अपील संख्या 6755

2008 की कंपनी अपील संख्या 10 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 30.09.2010 से।

श्याम दीवान, हरीश एन. साल्वे, पराग पी. त्रिपाठी, रामजी श्रीनिवासन ब्रज किशोर मिश्रा, वी.के. झा, राजीव गोयल, विक्रम पत्रलेख, सिद्धार्थ आर्य, अपर्णा झा, उनवाल के. झा, स्वीटी स्कॉड, पी.के. वर्मा, :ज्योतिका कालरा, अमित आनंद तिवारी, अमित वाधवा, विवेक पॉल, संजय भट्ट, राबिन मजूमदार, अश्वेषा देब, विवेक सिंह, आशुतोष झा, दीपक अवस्थी, अनुज भंडारी उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय सुनाए गए

स्वतंत्र कुमार, जे. 1. अनुमति प्रदान की गयी ।

2. वर्तमान मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 529, 529ए और 530 के दायरे, दायरे और विधायी योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठता है।

3. अपीलकर्ता के अनुसार, इन प्रावधानों के सही निर्माण पर, परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से बकाया राशि के भुगतान के मामले में, कामगारों का सुरक्षित लेनदारों सहित अन्य सभी पर अधिमान्य दावा है। यह विशेष रूप से तब सत्य होगा जब ऐसी परिसंपत्तियाँ परिसमापन में कंपनी के सुरक्षित लेनदारों के पक्ष में गिरवी नहीं रखी जाती हैं। इसलिए, सुरक्षित लेनदारों के पास ऐसी असुरक्षित परिसंपत्तियों पर कोई प्रभार नहीं है और न ही कंपनी की इन परिसंपत्तियों से प्राप्त बिक्री आय पर कोई परिणामी, अधिमान्य या समान दावा है। इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से तर्क यह है कि सुरक्षित लेनदारों के ऋण, सुरक्षित लेनदारों के उन बकाया के संबंध में कामगारों के ऋणों के साथ समान होंगे, जिन्हें सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूल नहीं किया जा सका, क्योंकि उन्होंने अधिनियम की धारा 529(1) के अनुसार कामगारों के बकाया की सीमा तक अपनी सुरक्षा छोड़ दी है। अपने-अपने तर्कों के समर्थन में अपीलकर्ता ने इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक एवं अन्य [(2000) 4 एससीसी 406] के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जबकि प्रतिवादियों ने यूको बैंक बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर, उच्च न्यायालय, बॉम्बे एवं अन्य [(1994) 5 एससीसी 1]; आंध्रा बैंक बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर [(2005) 5 एससीसी 75]; और आईसी/सीएल बैंक लिमिटेड बनाम सिडको लेदर्स लिमिटेड एवं अन्य [(2006) 10 एससीसी 452] के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भारी भरोसा किया है। चूंकि वर्तमान लिस के दोनों पक्षों ने इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर भरोसा किया है, इसलिए इस न्यायालय से अब पूर्वोक्त निर्णयों में बताए गए भिन्न-भिन्न विचारों के मद्देनजर कानून की सही व्याख्या करने का आह्वान किया जाता है।

4. मैं सबसे पहले संक्षेप में उन तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगा जो वर्तमान अपील को जन्म देते हैं। मेसर्स यूएमआई स्पेशल स्टील्स लिमिटेड (संक्षेप में यूएमआई) अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है। इसके पास पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर संपत्तियां हैं। यूएमआई की इन संपत्तियों में से कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखी गई थीं जबकि अन्य नहीं, विशेष रूप से चेन्नई, पुणे, फरीदाबाद और कोलकाता में स्थित संपत्तियां। वर्ष 2001 के अंत में कंपनी बीमार हो गई। इसके

बाद इसने बीमार इकाई घोषित करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (संक्षेप में 'बीआईएफआर') से संपर्क किया। बीआईएफआर ने 8 मार्च, 2002 को अपनी राय में कहा कि यूएमआई को बंद कर दिया जाना चाहिए। बीआईएफआर की राय पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त, 2003 के अपने आदेश के तहत यूएमआई को बंद करने का आदेश पारित किया और परिसमापन कार्यवाही के संचालन और उसे पूरा करने के लिए एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया। उच्च न्यायालय के इस आदेश को अंतिम रूप प्राप्त हुआ। इस आदेश के अनुसरण में, आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। हमारे सामने यह निर्विवाद स्थिति है कि यूएमआई के मुख्य सुरक्षित लेनदार एसएसएसएफ/आईडीबीआई ने 31 जनवरी, 2004 को 63.34 करोड़ रुपये के अपने ऋणों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (ओआरटी) के समक्ष ओए संख्या 72/2004 के तहत एक मूल आवेदन दायर किया था। इस आवेदन पर, ओआरटी ने 5 जुलाई, 2004 को नोटिस जारी किया और तब से, मामला बिना किसी आगे की कार्यवाही के ओआरटी के समक्ष लंबित है।

5. इस बीच, आधिकारिक परिसमापक ने सभी सुरक्षित लेनदारों से दावे आमंत्रित किए और अन्य के साथ-साथ, आईडीबीआई ने भी 30 जुलाई, 2006 को अपना दावा दायर किया। सुरक्षित लेनदारों का स्वीकृत दावा 1,60,08,43,739/- रुपये था, जबकि कर्मचारियों का 16,38,44,741.25 रुपये था। हमारे सामने यह भी विवादित नहीं है कि कंपनी की सुरक्षित संपत्तियां अलग से बेची गई थीं और उनका एक अलग खाता बनाए रखा गया था। इसी तरह, असुरक्षित संपत्तियों को आधिकारिक परिसमापक द्वारा अलग से बेचा गया था, जिसके लिए फिर से एक अलग खाता बनाए रखा गया था। सुरक्षित संपत्तियों से कुल बिक्री आय 108.90 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 93,64,93,586/- रुपये की राशि सुरक्षित लेनदारों के बीच वितरित की गई थी और कर्मचारियों को 8,19,22,371.12 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी की असुरक्षित संपत्तियों को कुल 8.51 करोड़ रुपये में बेच दिया। इसमें विभिन्न स्थानों पर स्थित संपत्तियां शामिल थीं, जो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के पास बंधक नहीं थीं। पक्षों के बीच विवाद मुख्य रूप से 8.51 करोड़ रुपये की इस राशि के वितरण से संबंधित है। श्रमिकों के अनुसार अधिनियम की धारा 529ए के अनुसार, उनके 8.19 करोड़ रुपये और उससे अधिक के पूरे शेष दावे को अन्य सभी दावेदारों के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, सुरक्षित लेनदारों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार और विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि उन्होंने श्रमिकों के पक्ष में 8,19,22,371.12 रुपये की सीमा तक अपनी सुरक्षा छोड़ दी थी, उनके पास असुरक्षित संपत्तियों की बिक्री आय पर भी समान प्रभार है। केवल ऐसी संतुष्टि पर ही बिक्री आय को कानून के अनुसार अन्य लेनदारों के बीच वितरित किया जा सकता है। सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर किया गया आवेदन भी आधिकारिक परिसमापक को जारी कर दिया गया।

6. वर्तमान अपील में अपीलकर्ता, कामगारों में से एक, जीतेंद्र नाथ सिंह ने कंपनी याचिका संख्या 2/2002 में आई.ए. संख्या 1511/2008 के तहत एक आवेदन

दायर किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि असुरक्षित परिसंपत्तियों से बिक्री की आय सबसे पहले कामगारों को वितरित की जानी चाहिए। इस आई.ए. को कंपनी न्यायालय ने 28 नवंबर, 2008 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ, कामगारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी अपील संख्या 10/2008 दायर की थी। तीन अन्य कामगारों ने भी एक आवेदन दायर कर प्रार्थना की थी कि मजदूरी के संबंध में उनके सत्यापित दावे का 50 प्रतिशत उन्हें आधिकारिक परिसमापक द्वारा दिया जाए। कंपनी न्यायालय ने 24 अप्रैल, 2009 को कंपनी अपील संख्या 10/2008 में एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आधिकारिक परिसमापक द्वारा धन वितरित किया जाए। इस आदेश के मद्देनजर कंपनी कोर्ट ने 16 अप्रैल, 2010 के अपने आदेश के तहत तीनों कामगारों के दावे को खारिज कर दिया। व्यथित होकर इन तीनों कामगारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी अपील संख्या 1/2010 दायर की।

7. इन दोनों अपीलों को उच्च न्यायालय ने 30 सितम्बर, 2010 को एक साझा निर्णय द्वारा खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर, श्रमिक जितेन्द्र नाथ सिंह ने कम्पनी अपील संख्या 10/2008 के संबंध में निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

8. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, वर्तमान अपील में अपीलकर्ता का तर्क यह है कि असुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में, 8 श्रमिकों का दावा सुरक्षित लेनदारों के दावों से अधिक है और उन्हें उनके दावों के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आनुपातिक वितरण का नियम केवल किसी विशेष सुरक्षित लेनदार के खाते वाली संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय के लिए लागू होता है। सरल शब्दों में कहें तो, वैधानिक शुल्क को किसी भी संविदात्मक शुल्क पर प्राथमिकता मिलेगी।

9. आइए अब प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और उनकी योजना की जांच करें। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के माध्यम से, धारा 529ए, साथ ही अधिनियम की धारा 529(1) के प्रावधान को 24 मई, 1985 से प्रभावी रूप से शामिल किया गया था। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि कंपनी के समापन की स्थिति में, श्रमिकों के बकाया को सुरक्षित लेनदारों के बराबर और यहां तक कि सरकार के बकाया से भी ऊपर रखा जा सकता है। विधायी इरादा यह प्रतीत होता है कि सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों के बकाया को दूसरों की तुलना में वरीयता दी जानी चाहिए, हालांकि, एक दूसरे के लिए समान रहेगा। कानून के निर्माताओं का यह इरादा नहीं था कि किसी सुरक्षित लेनदार को उसके बकाया या श्रमिकों के प्रभार से वंचित किया जाए, जब तक कि इसे सुरक्षित लेनदार द्वारा विशेष रूप से छोड़ नहीं दिया गया हो। इस स्तर पर, मैं अधिनियम की धारा 529, 529ए और 530 के प्रावधानों का उल्लेख कर सकता हूं जो इस प्रकार हैं:

"529. दिवालिया कंपनियों के परिसमापन में दिवालियापन नियमों का अनुप्रयोग. -
- (1) दिवालिया कंपनी के परिसमापन में, वही नियम लागू होंगे और उनका पालन किया जाएगा-

(क) साबित किए जा सकने वाले ऋण;

(ख) वार्षिकी और भावी तथा आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन; और
(ग) सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार; जो दिवालिया घोषित किए गए व्यक्तियों की संपदाओं के संबंध में दिवालियापन के कानून के तहत फिलहाल लागू हैं:

बशर्ते कि प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा, उसमें कामगारों के हिस्से की सीमा तक कामगारों के पक्ष में समरूप प्रभार के अधीन समझी जाएगी, और जहां कोई सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा को त्यागने और अपने ऋण को साबित करने के बजाय, अपनी सुरक्षा वसूलने का विकल्प चुनता है, -

(क) परिसमापक कामगारों का प्रतिनिधित्व करने और ऐसे प्रभार को लागू करने का हकदार होगा;

(ख) परिसमापक द्वारा ऐसे प्रभार को लागू करने के माध्यम से वसूल की गई कोई राशि कर्मचारियों के बकाया के भुगतान के लिए प्रभार उचित रूप से लगाया जाएगा; तथा

(ग) ऐसे सुरक्षित ऋणदाता को देय ऋण का वह भाग जो इस परंतुक के पूर्वगामी उपबंधों के आधार पर उसके द्वारा वसूल नहीं किया जा सका या उसकी प्रतिभूति में कर्मचारियों के हिस्से की राशि, जो भी कम हो, धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों के बकाया के साथ समतुल्य होगी।

(2) सभी व्यक्ति जो किसी ऐसे मामले में कंपनी की परिसंपत्तियों से लाभांश साबित करने और प्राप्त करने के हकदार होंगे, समापन के अंतर्गत आ सकते हैं, और कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे कर सकते हैं, जिन्हें वे क्रमशः इस धारा के आधार पर करने के हकदार हैं:

परंतु यदि कोई सुरक्षित ऋणदाता अपनी प्रतिभूति को त्यागने और अपने ऋण के लिए साबित करने के बजाय अपनी प्रतिभूति वसूलने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह सुरक्षित ऋणदाता द्वारा प्रतिभूति की वसूली से पहले उसके संरक्षण के लिए परिसमापक (यदि कोई अनंतिम परिसमापक भी शामिल है) द्वारा किए गए व्यय के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण. - इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, प्रतिभूति के संरक्षण के लिए परिसमापक द्वारा उपगत व्यय का वह भाग, जिसका भुगतान करने के लिए प्रतिभूत ऋणदाता उत्तरदायी होगा, संपूर्ण व्ययों में से वह राशि घटाई जाएगी जो ऐसे व्ययों के लिए प्रतिभूति के संबंध में कर्मकारों के भाग के समान अनुपात में होगी, जो प्रतिभूति के मूल्य के लिए होगी।

(3) इस धारा, धारा 529ए और धारा 530 के प्रयोजनों के लिए, -

(क) किसी कंपनी के संबंध में "कर्मकार" से कंपनी के कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अर्थ में कर्मकार हैं;

(ख) किसी कंपनी के संबंध में "कर्मचारियों का बकाया" का अर्थ है कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को देय निम्नलिखित राशियों का योग, अर्थात्: -

(i) सभी मजदूरी या वेतन, जिसमें समय या टुकड़ा काम के लिए देय मजदूरी और कंपनी को दी गई सेवाओं के संबंध में किसी भी कर्मकार द्वारा कमीशन के रूप में

पूर्णतः या आंशिक रूप से अर्जित वेतन शामिल है, और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी कर्मकार को देय कोई मुआवजा;

(ii) किसी भी कर्मकार को देय होने वाला सभी उपार्जित अवकाश पारिश्रमिक, या उसकी मृत्यु के मामले में, समापन आदेश या संकल्प के प्रभाव से पहले या उसके रोजगार की समाप्ति पर उसके अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को;

(iii) जब तक कि कंपनी को केवल पुनर्निर्माण या किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन के प्रयोजनों के लिए स्वैच्छिक रूप से समाप्त नहीं किया जा रहा है, या जब तक कि कंपनी ने समापन के प्रारंभ में बीमाकर्ताओं के साथ ऐसे अनुबंध के तहत समापन की धारा 14 में उल्लिखित नहीं किया है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के तहत ऐसे अधिकार जो कर्मकार को हस्तांतरित किए जा सकते हैं और उनमें निहित किए जा सकते हैं, कंपनी के किसी कर्मकार की मृत्यु या निःशक्तता के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत किसी प्रतिकर या प्रतिकर के दायित्व के संबंध में देय सभी रकमों;

(iv) किसी कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन निधि, ग्रेच्युटी निधि या कंपनी द्वारा संचालित कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि से देय सभी राशियाँ;

(ग) किसी कंपनी के किसी सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति के संबंध में "कर्मचारियों का भाग" से वह राशि अभिप्रेत है जो प्रतिभूति के मूल्य के साथ उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में कर्मचारियों के बकाया की राशि का योग होता है-

(i) कर्मचारियों के बकाया की राशि; और

(ii) सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों की राशियाँ।

दृष्टान्त

529ए. अधिभावी अधिमन्य भुगतान:- इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी के परिसमापन में-

(क) कर्मचारियों के बकाया; और

(ख) सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण, जिस सीमा तक ऐसे ऋण धारा 529 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ग) के अन्तर्गत आते हैं, ऐसे बकाया के साथ समरूप हैं,

अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता के आधार पर चुकाए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अन्तर्गत देय ऋणों का पूर्ण भुगतान किया जाएगा, जब तक कि परिसंपत्तियां उन्हें चुकाने के लिए अपर्याप्त न हों, जिस स्थिति में वे समान अनुपात में कम हो जाएंगे।

530. अधिमन्य भुगतान:- (1) धारा 529ए के उपबंधों के अधीन समापन में, निम्नलिखित का अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा-

(क) कंपनी से केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (8) के खंड (ग) में परिभाषित सुसंगत तिथि पर देय सभी राजस्व, कर, उपकर और दरें,

तथा उस तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों के भीतर देय और भुगतान योग्य हो गए हैं;

(ख) कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किसी भी कर्मचारी की सभी मजदूरी या वेतन (जिसमें समय या टुकड़ा काम के लिए देय मजदूरी और पूर्णतः या आंशिक रूप से कमीशन के रूप में अर्जित वेतन शामिल है) और जो सुसंगत तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों के भीतर चार महीनों से अधिक अवधि के लिए देय है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए;

(ग) किसी कर्मचारी को देय समस्त उपार्जित अवकाश पारिश्रमिक, अथवा उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को, समापन आदेश अथवा संकल्प के पूर्व अथवा उसके प्रभाव से उसकी नियुक्ति समाप्त होने पर देय समस्त उपार्जित अवकाश पारिश्रमिक;

(घ) जब तक कि कंपनी का समापन स्वैच्छिक रूप से केवल पुनर्निर्माण अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ विलय के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा हो, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) अथवा किसी अन्य वर्तमान कानून के अधीन किसी व्यक्ति के नियोक्ता के रूप में कंपनी द्वारा, प्रासंगिक तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों के दौरान देय अंशदानों के संबंध में देय समस्त राशियां;

(ई) जब तक कि कंपनी का समापन स्वैच्छिक रूप से केवल पुनर्निर्माण या किसी अन्य कंपनी के साथ विलय के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा हो, या जब तक कि कंपनी के पास समापन के प्रारंभ में, बीमाकर्ताओं के साथ ऐसे अनुबंध के अंतर्गत, जैसा कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 14 में उल्लिखित है, अधिकार न हों जो कर्मकार को हस्तांतरित और निहित किए जा सकें, कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत किसी प्रतिकर या प्रतिकर के लिए देयता के संबंध में देय सभी राशियाँ;

(एफ) कंपनी द्वारा बनाए गए कर्मचारियों के कल्याण के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि, ग्रेजुटी निधि या किसी अन्य निधि से किसी कर्मचारी को देय सभी राशियाँ; और

(जी) धारा 235 या 237 के अनुसरण में आयोजित किसी भी जांच के खर्च, जहां तक वे कंपनी द्वारा देय हैं।

(2) वह राशि, जिसे उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राथमिकता दी जानी है, किसी एक दावेदार के मामले में, 2[ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाए]।

(3) जहां कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन कोई प्रतिकर साप्ताहिक भुगतान है, वहां उपधारा (1) के खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, उसके संबंध में देय राशि एकमुश्त राशि मानी जाएगी, जिसके लिए साप्ताहिक भुगतान, यदि प्रतिदेय हो, प्रतिदेय किया जा सकता है, यदि नियोक्ता ने उक्त अधिनियम के अधीन उस प्रयोजन के लिए आवेदन किया हो।

(4) जहां किसी कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई भुगतान किया गया है, -

(i) मजदूरी या वेतन के मद में; या

(ii) उसे, या उसकी मृत्यु की स्थिति में, उसके अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को, उपार्जित अवकाश पारिश्रमिक के कारण, उस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम राशि में से, जिस व्यक्ति द्वारा वह राशि अग्रिम की गई थी, उसे समापन में, इस प्रकार अग्रिम और भुगतान की गई राशि के संबंध में प्राथमिकता का अधिकार होगा, उस राशि तक जिसके संबंध में कर्मचारी या उसके अधिकार में अन्य व्यक्ति समापन में प्राथमिकता के हकदार होते, भुगतान किए जाने के कारण कम हो गई है।

(5) उपर्युक्त ऋण-

(क) आपस में समान श्रेणी के होंगे तथा पूर्ण रूप से चुकाए जाएंगे, जब तक कि परिसंपत्तियां उन्हें चुकाने के लिए अपर्याप्त न हों, ऐसी स्थिति में वे समान अनुपात में कम हो जाएंगे; तथा

(ख) जहां तक सामान्य लेनदारों के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी की परिसंपत्तियां उन्हें चुकाने के लिए अपर्याप्त हैं, कंपनी द्वारा गठित किसी भी चल प्रभार के अंतर्गत ऋणपत्र धारकों के दावों पर प्राथमिकता प्राप्त होगी तथा तदनुसार उस प्रभार में समाहित या उसके अधीन किसी भी संपत्ति से उनका भुगतान किया जाएगा।

(6) समापन की लागतों और व्ययों के लिए आवश्यक राशियों को प्रतिधारित करने के अधीन रहते हुए, उपर्युक्त ऋणों का तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा जहां तक परिसंपत्तियां उन्हें चुकाने के लिए पर्याप्त हैं, तथा उन ऋणों के मामले में, जिन्हें उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्राथमिकता दी गई है, उनका औपचारिक प्रमाण अपेक्षित नहीं होगा, सिवाय इसके कि जहां तक अन्यथा विहित किया जाए।

(7) यदि कोई मकान मालिक या अन्य व्यक्ति समापन आदेश की तिथि से ठीक तीन महीने पहले कंपनी के किसी माल या प्रभाव पर कर लगाता है या कर लगाता है, तो इस धारा द्वारा प्राथमिकता दिए गए ऋण,

इस प्रकार कर लगाए गए माल या प्रभाव पर या उसकी बिक्री से प्राप्त आय पर प्रथम प्रभार होंगे: बशर्ते कि ऐसे किसी प्रभार के अंतर्गत भुगतान किए गए किसी धन के संबंध में मकान मालिक या अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति के समान प्राथमिकता के अधिकार होंगे, जिसे भुगतान किया गया है।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) छुट्टी की अवधि या बीमारी या अन्य अच्छे कारण से काम से अनुपस्थिति के संबंध में कोई पारिश्रमिक उस अवधि के दौरान कंपनी को दी गई सेवाओं के संबंध में मजदूरी माना जाएगा;

(ख) "उपार्जित छुट्टी पारिश्रमिक" में किसी व्यक्ति के संबंध में वे सभी राशियां शामिल हैं, जो उसके रोजगार अनुबंध या किसी अधिनियम (किसी अधिनियम के तहत किए गए किसी आदेश या दिए गए निर्देश सहित) के आधार पर उस पारिश्रमिक के कारण देय हैं, जो सामान्य तौर पर छुट्टी की अवधि के संबंध में उसे देय होता, यदि कंपनी के साथ उसका रोजगार तब तक जारी रहता जब तक कि वह छुट्टी की अनुमति पाने का हकदार नहीं हो जाता;

(खख) "कर्मचारी" में कर्मकार शामिल नहीं है; और (ग) "प्रासंगिक तारीख" से तात्पर्य है-

(i) अनिवार्य रूप से परिसमापन किए जाने के आदेश वाली कंपनी के मामले में, अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति (या प्रथम नियुक्ति) की तारीख, या यदि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है, तो परिसमापन आदेश की तारीख, जब तक कि किसी भी मामले में कंपनी ने उस तारीख से पहले स्वैच्छिक रूप से परिसमापन शुरू नहीं किया हो; और

(ii) किसी भी मामले में जहां उप-खंड (i) लागू नहीं होता है, कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए संकल्प पारित करने की तारीख।

(9) यह धारा उस समापन की स्थिति में लागू नहीं होगी, जहां भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 230 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट तारीख इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व घटित हुई हो, और ऐसी स्थिति में अधिमन्य भुगतान से संबंधित उपबंध, जो इस अधिनियम के पारित न होने की स्थिति में लागू होते, पूर्णतः लागू माने जाएंगे।"

10. अधिनियम का अध्याय v उन प्रावधानों से संबंधित है जो समापन के प्रत्येक तरीके पर लागू होते हैं और विशेष रूप से, उपरोक्त प्रावधान दावों के प्रमाण और रैंकिंग से संबंधित हैं। धारा 529 दिवालिया कंपनी के समापन के लिए दिवालियापन नियमों के आवेदन से संबंधित है। धारा 529 की प्रारंभिक भाषा यह मानती है कि दिवालिया कंपनी के समापन में, दिवालियापन के कानून के तहत प्रचलित नियम लागू होंगे। इस प्रकार, प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, 1920 (संक्षेप में "दिवालियापन अधिनियम"), अनुमेय सीमा तक, कंपनी के समापन के संबंध में लागू होगा। दिवालियापन अधिनियम की धारा 47 इस प्रकार है:

"47. सुरक्षित लेनदार. -

(1) जहां सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति प्राप्त करता है, वह प्राप्त शुद्ध राशि को घटाने के पश्चात, अपने बकाया शेष के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जहां सुरक्षित लेनदार लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए अपनी प्रतिभूति का त्याग करता है, वह अपने संपूर्ण ऋण के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

(3) जहां सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति प्राप्त नहीं करता है या त्यागता नहीं है, वह अपने ऋण को अनुसूची में दर्ज कराने का हकदार होने से पहले, अपने प्रमाण में अपनी प्रतिभूति का विवरण और वह मूल्य जिस पर वह उसका मूल्यांकन करता है, बताएगा और वह इस प्रकार निर्धारित मूल्य को घटाने के पश्चात केवल अपने बकाया शेष के संबंध में लाभांश प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) जहां प्रतिभूति का इस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है, न्यायालय, मूल्यांकन से पूर्व किसी भी समय निर्धारित मूल्य का लेनदार को भुगतान करके उसे मोचन कर सकता है।

(5) जहां लेनदार अपनी प्रतिभूति का मूल्यांकन करने के पश्चात, बाद में उसे प्राप्त करता है, प्राप्त शुद्ध राशि को लेनदार द्वारा पहले किए गए किसी मूल्यांकन की राशि के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा और सभी मामलों में ऋणदाता द्वारा किए गए संशोधित मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा।

(6) जहां कोई सुरक्षित ऋणदाता इस खंड के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, उसे किसी भी लाभांश में सभी हिस्सेदारी से बाहर रखा जाएगा।

11. उपरोक्त प्रावधान विभिन्न विकल्प देता है जो उपलब्ध हैं और जिनका प्रयोग सुरक्षित लेनदार द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान में रखना होगा कि धारा 529 के अनुसार दिवालियापन के नियम लागू होंगे और उनका पालन किया जाएगा, लेकिन केवल प्रमाणित ऋणों, वार्षिकी और भविष्य और आकस्मिक देनदारियों के मूल्यांकन और सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकारों के संबंध में। जहां एक सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा प्राप्त करता है, वह प्राप्त शुद्ध राशि को घटाने के बाद उसे देय शेष राशि को साबित कर सकता है; या जहां एक सुरक्षित लेनदार लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए अपनी सुरक्षा छोड़ देता है, वह अपने पूरे ऋण के लिए साबित कर सकता है। फिर भी, जहां एक सुरक्षित लेनदार इन विकल्पों में से किसी का भी प्रयोग नहीं करता है, वह अपने ऋण को अनुसूची में दर्ज करने का हकदार है और धारा 47(3) के अनुसार लाभांश प्राप्त करने का हकदार होगा।

12. यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 529 का प्रावधान कानून में एक काल्पनिक कल्पना बनाता है और यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा, उसके अंतर्गत कर्मचारी के हिस्से की सीमा तक, कामगारों के पक्ष में समान प्रभार के अधीन मानी जाएगी। इस कल्पना का उद्देश्य कामगारों को उनके बकाए की वसूली के लिए एक अधिमन्य अधिकार देना है। धारा 529(1) के प्रावधान में प्रकट होने वाले 'कामगारों के हिस्से' की व्याख्या अधिनियम की धारा 529(3) के खंड (सी) के तहत की गई है। किसी कंपनी के किसी सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा के संबंध में कामगारों के हिस्से का अर्थ वह राशि है जो सुरक्षा के मूल्य के बराबर होती है, जो कामगारों के बकाए की राशि, कामगारों के बकाए की राशि और सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों की राशि के योग से होती है। उस प्रावधान में दिए गए उदाहरण की सहायता से कर्मकारों के हिस्से की गणना उसके अनुसार की जानी है। इस प्रकार, प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति, कानून के अनुसार, कर्मकारों के हिस्से की सीमा तक कर्मकारों के पक्ष में समरूप प्रभार के अधीन है और जहां सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति को त्यागने और अपने ऋण को साबित करने के बजाय अपनी प्रतिभूति वसूलने का विकल्प चुनता है, उस स्थिति में, ऐसे सुरक्षित लेनदार को देय ऋण का उतना भाग, जो कर्मकारों के पक्ष में समरूप प्रभार के आधार पर उसके द्वारा वसूल नहीं किया जा सका या उसकी प्रतिभूति में कर्मकारों के हिस्से की राशि, जो भी कम हो, धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए कर्मकारों के बकायों के साथ समरूप मानी जाएगी।

13. अधिनियम की धारा 529ए गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होती है, जो धारा 529(1) के प्रावधान के तहत परिभाषित श्रमिकों की बकाया राशि और सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि को अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ बकाया भुगतान की प्राथमिकता के मामले में किसी भी अन्य कानून पर अधिभावी प्रभाव देती है। अधिनियम की धारा 529ए का अनुप्रयोग धारा 529 सहित अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर निर्भर नहीं है, सिवाय धारा 529, प्रावधान (सी) में निर्दिष्ट सीमा तक। इसलिए, यह दिवाला अधिनियम की धारा 47 सहित वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून द्वारा लगाई गई

सीमा पर निर्भर नहीं है। धारा 529(ए) के गैर-बाधा आरंभिक शब्दों का उद्देश्य अधिनियम की धारा 530 के तहत परिकल्पित 'अधिमान्य भुगतान' के विपरीत 'अधिमान्य अधिमान्य भुगतान' को प्राथमिकता देना है। यह गैर-बाधा वाली भाषा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि धारा 529 (ए) अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होगी। दिवालियापन कानून सहित कोई भी कानून अधिनियम की धारा 529 ए के साथ धारा 529 के आवेदन और प्रभाव को कम नहीं कर सकता है। इस प्रकार, प्रावधान लागू सभी अन्य कानूनों के अपवाद हैं।

14. एक बार जब धारा 529 के प्रावधान और उसके खंड (ए) से (सी) की सामग्री संतुष्ट हो जाती है, तो सुरक्षित लेनदार प्रावधानों को लागू करने और धारा 529ए(i) के लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि समान प्रभार और उसमें बताई गई प्राथमिकता के अधीन होगा। अधिनियम की धारा 529ए के तहत किसी कंपनी के समापन में कामगारों के बकाया को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, कामगारों के बकाया को केवल अधिमान्य खंड में नहीं रखा गया है। धारा 529ए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'और' है, जिसका अर्थ है कि खंड (ए) और (बी) के तहत बताई गई बकाया राशि समान रहेगी। लेकिन यह सुरक्षित लेनदारों की पूरी बकाया राशि नहीं है जिसे अन्य बकाया राशि पर वरीयता मिलेगी और जो कामगारों को देय शुल्क के साथ समान रहेगी। उनकी देनदारियाँ केवल उन ऋणों की सीमा तक सीमित हैं जो धारा 529 की उपधारा (1) के प्रावधान के खंड (सी) के तहत सुरक्षित लेनदारों को देय हैं जो ऐसी देनदारियों के साथ समरूप हैं। यहाँ 'ऐसी देनदारियाँ' शब्द का तात्पर्य कामगारों की देनदारियों से है। आंध्र बैंक मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल कामगारों की देनदारियों का भुगतान अन्य सभी के लिए धारा 529ए के अनुसार किया जाएगा, बल्कि धारा 529(1) प्रावधान (सी) के अनुसार सुरक्षित लेनदारों को देय राशि के साथ समरूप है। इन दोनों धाराओं यानी धारा 529 और 529ए की भाषा को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि सुरक्षित लेनदारों को देय संपूर्ण या अप्राप्त राशि धारा 529ए के प्रावधानों के तहत संरक्षित नहीं है और यह कामगारों के प्रभारों के साथ समरूप है, बल्कि यह केवल धारा 529(1) के प्रावधान के तहत त्यागी गई राशि या हिस्सा है, जो भी कम हो, जो संरक्षित है। दूसरे शब्दों में, वह राशि जो सुरक्षित लेनदारों को देय है और धारा 529(1) के तहत कामगारों के समरूप प्रभार के प्रवर्तन के कारण भुगतान नहीं की गई है, सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि का वह हिस्सा है जो धारा 529ए के तहत संरक्षित है। इन दोनों प्रावधानों के आवेदन में एक सीधा संबंध है। वर्तमान प्रकार की स्थिति में, इन प्रावधानों को सामूहिक रूप से लागू करना होगा और वह भी विधायी मंशा की सही सराहना पर। जहाँ तक अधिनियम की धारा 530 का सवाल है, यह अधिनियम की धारा 529 और 529ए के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के संबंध में सरलता से अधिमान्य भुगतान का प्रावधान करती है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम मुख्य रूप से धारा 529 और 529ए के आवेदन से चिंतित हैं।

15. यदि कोई उपर्युक्त प्रावधानों की योजना का विश्लेषण करता है, तो यह स्पष्ट है कि किसी दिवालिया कंपनी की समापन याचिका में, दिवालियापन के नियम बताई गई

सीमा तक लागू होंगे। धारा 529(1) के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा पर कानून में एक काल्पनिक कल्पना बनाई गई है, जो उसमें कामगारों के हिस्से की सीमा तक है। प्रावधान के दूसरे भाग में कहा गया है कि जहां सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा छोड़ने और अपने ऋणों को साबित करने के बजाय अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने का विकल्प चुनता है, वहां परिसमापक कामगारों का प्रतिनिधित्व करने और कामगारों के पक्ष में कामगारों के बकाया की सीमा तक उक्त प्रभार को लागू करने का हकदार है। अधिनियम के साथ-साथ दिवालियापन अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के संचयी पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि न तो विधानमंडल का इरादा था और न ही इसे समझा जा सकता है कि जहां कोई कार्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के पूर्ण पालन में किया जाता है, वह केवल इसलिए दो अलग-अलग परिणामों को जन्म दे सकता है क्योंकि ऐसा कार्य विभिन्न मंचों/न्यायालय के समक्ष किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 529 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करते हुए कंपनी न्यायालय के अलावा किसी अन्य फोरम के समक्ष अपनी सुरक्षा प्राप्त करता है, तो धारा 529ए के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि वह कंपनी न्यायालय के समक्ष समान शर्तों पर और समापन के बाहर अपने उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और समापन कार्यवाही में अपनी बिक्री आय को सामान्य हॉच पॉट में डाले बिना कार्य करता है, तो वह धारा 529ए के लाभों का हकदार नहीं होगा। यह और भी अधिक इसलिए है क्योंकि किसी अन्य फोरम के समक्ष सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षा की बिक्री भी कंपनी न्यायालय की स्वीकृति के बिना पूरी नहीं हो सकती है। कंपनी न्यायालय को अधिनियम की धारा 446 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी कार्यवाही को स्थानांतरित करने का अधिकार भी दिया गया है। इस स्तर पर, आंध्र बैंक (सुप्रा) में इस न्यायालय के कथन का संदर्भ देना उपयोगी होगा, जहां न्यायालय ने देखा, "जहां मामला बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ("आरओबी अधिनियम") के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है, उसकी धारा 19(19) के अनुसार, सुरक्षित ऋणदाताओं को स्वयं प्राथमिकता नहीं मिलेगी....." यह दिखाने के लिए कि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही का लंबित होना ही सुरक्षित ऋणदाता को वैधानिक लाभों से वंचित नहीं करेगा। बेशक, स्थिति पूरी तरह से अलग होगी जहां सुरक्षित लेनदार दिवालियापन अधिनियम की धारा 47(1) के प्रावधानों की योजना का पालन नहीं करता है, जिसे अधिनियम की धारा 529 और 529ए के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन बिक्री की आय को समापन कार्यवाही में एक आम गड़बड़ी में डाल देता है या यहां तक कि बड़े पैमाने पर लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए सुरक्षा को त्याग देता है, तो लेनदार धारा 529ए के लाभ का हकदार नहीं होगा और कंपनी के असुरक्षित लेनदारों के अनुरूप खड़ा होगा। इसके अलावा, जहां सुरक्षित लेनदार धारा 529(1) के प्रावधान के अनुसार श्रमिकों के हिस्से के लिए अपनी सुरक्षा से हिस्सा लेने के कारण अपने बकाए को पूरी तरह से वसूलने में असमर्थ रहा है, तो निर्दिष्ट सीमा तक, सुरक्षित लेनदार धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए श्रमिकों के बकाए के साथ समान प्रभार का हकदार है।

16. स्थिति अलग हो सकती है, जहां सुरक्षित लेनदार समापन कार्यवाही में आम हॉच-पॉट में आय जमा करने के पक्ष में या वसूली पर अपनी सुरक्षा छोड़ देता है और

सामान्य रूप से लेनदारों के लाभ के लिए। वसूली के लिए इस पूरी प्रक्रिया में धारा 529 (1) के प्रावधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी दो सामग्री है, जिन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। पहला, यह कामगारों के पक्ष में एक सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा पर कानूनी कल्पना द्वारा एक समान प्रभार बनाता है और दूसरा, जहां सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा छोड़ने और अपने ऋणों को साबित करने के बजाय अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने का विकल्प चुनता है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'और' को एक साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, न कि एक दूसरे से अलग करके। शब्द 'और' प्रावधान और उप-खंड (ए) से (सी) को लागू करने योग्य बनने के लिए पूर्वोक्त दो विशिष्ट शर्तों को निर्दिष्ट करता है। परंतुक के खंड (ए) और (बी) परिसमापक को कामगारों के पक्ष में वैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए कामगारों की बकाया राशि के हिस्से की सीमा तक प्रतिनिधित्व का अधिकार देते हैं। धारा 529(1) के परंतुक के खंड (सी) में उस राशि में कमी की भरपाई करने का तरीका दिया गया है जिसे सुरक्षित लेनदार सुरक्षा की बिक्री और समरूप प्रभार के निर्माण पर खो देता है। बेशक, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ऐसी वसूली फिर से समरूप है और कामगारों की बकाया राशि की सीमा तक सीमित है। सुरक्षा की वसूली समापन के बाहर की कार्यवाही में हो सकती है, यानी किसी विशेष मंच के समक्ष या अन्यथा या यह समापन में हो सकती है लेकिन सामान्य लेनदारों के लाभ के लिए नहीं बल्कि अधिनियम की धारा 529(1) के परंतुक के प्रावधानों के सख्ती से अनुपालन में हो सकती है। ऐसी दोनों स्थितियों में, सुरक्षित ऋणदाता अधिनियम की धारा 529ए(1) के तहत संरक्षण और अधिमान्य भुगतान के अधिकार का हकदार होगा।

17. अब, मैं इस न्यायालय के उन निर्णयों का उल्लेख कर सकता हूँ जिन पर संबंधित पक्षों ने भरोसा किया है। इलाहाबाद बैंक (सुप्रा) के मामले में इलाहाबाद बैंक उस मामले में परिसमापन में कंपनी का असुरक्षित लेनदार था और उसने देनदार-कंपनी के खिलाफ दिल्ली में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'ओआरटी') से एक साधारण धन डिक्री प्राप्त की थी। केनरा बैंक देनदार-कंपनी का एक सुरक्षित लेनदार था, लेकिन उसका दावा उसी न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित था। इलाहाबाद बैंक ने आरओबी अधिनियम के तहत वसूली अधिकारी के समक्ष बिक्री कार्यवाही की थी। हालांकि, कंपनी न्यायालय ने रैनबैक्सी लिमिटेड द्वारा एक समापन याचिका में अधिनियम की धारा 442 और 537 के तहत इन बिक्री कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। असंतुष्ट, इलाहाबाद बैंक ने इस न्यायालय के समक्ष कंपनी न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उस मामले में यह न्यायालय मुख्य रूप से इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या इलाहाबाद बैंक के कहने पर डीआरटी द्वारा देनदार कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूल की जाने वाली निर्देशित राशि सीधे उसके पक्ष में जारी की जा सकती है, या क्या आरओबी अधिनियम की धारा 19(19) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 529ए के साथ पढ़ा जाए, अन्य पक्ष जैसे सुरक्षित लेनदार, अभी भी वसूल की गई धनराशि पर प्रभार रखेंगे। इस प्रकार, उस मामले में न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से प्रश्न देनदार कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूल की गई धनराशि के संबंध में सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार के बीच ऋण चुकाने की प्राथमिकता का क्रम था। इस प्रश्न पर विचार

करते हुए न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि अधिनियम की धारा 529ए(1) (ए) के कारण कामगारों के बकाए को अन्य सभी लेनदारों, सुरक्षित या असुरक्षित, पर प्राथमिकता प्राप्त है। इस स्तर पर इस निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफों का उपयोगी रूप से संदर्भ लिया जा सकता है:

"62. सुरक्षित लेनदार दो श्रेणियों में आते हैं। वे जो कंपनी न्यायालय के समक्ष जाना चाहते हैं और वे जो समापन से बाहर रहना पसंद करते हैं।

XXXX XXXX XXXX XXXX

68. हमारी राय में, "ऐसे सुरक्षित ऋणदाता को देय ऋण का वह हिस्सा जो इस प्रावधान के पूर्वगामी प्रावधानों के आधार पर उसके द्वारा वसूल नहीं किया जा सका" शब्दों का स्पष्ट अर्थ है कि परिसमापक द्वारा धारा 529(1) के प्रावधान के खंड (सी) के तहत प्रत्येक सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ "उचित रूप से" कामगारों के बकाया के लिए प्रभार लागू करने के माध्यम से सुरक्षित ऋणदाता की निजी वसूली से ली गई राशि। उस सीमा तक, सुरक्षित ऋणदाता - जो समापन के बाहर खड़ा है और जिसने अन्यथा सुरक्षा द्वारा कवर किए गए धन का एक हिस्सा खो दिया है - प्राथमिकता का दावा करते हुए, ट्रिब्यूनल में उपलब्ध अन्य धन से खुद की प्रतिपूर्ति करने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष आ सकता है। धारा 529ए(1) (बी) के आधार पर, सभी लेनदारों पर।

XXXX XXXX XXXX

76. अगला सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता के कहने पर आरओबी अधिनियम के तहत वसूल की गई राशि को सीधे उसके पक्ष में जारी किया जा सकता है। अब, भले ही कंपनी अधिनियम की धारा 19(19) के साथ धारा 529ए प्रतिवादी केनरा बैंक की मदद न करे, फिर भी उक्त प्रावधान अपीलकर्ता इलाहाबाद बैंक पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके पक्ष में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित डिक्री में कोई संदेह नहीं है। इसके बकाया असुरक्षित हैं। धारा 529-ए(1) (ए) के कारण "कर्मचारियों के बकाया" को अन्य सभी सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों पर प्राथमिकता प्राप्त है।

हमारे सामने ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह माना जा सके कि प्रतिवादी कंपनी के सभी कर्मचारियों का बकाया चुका दिया गया है। नेशनल टेक्सटाइल वर्क्स यूनियन बनाम पी.आर. रामकृष्णन (1983) 1 एससीसी 228 में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों के मद्देनजर इस न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह यह देखे कि बैंक या वित्तीय संस्थानों सहित किसी भी सुरक्षित या असुरक्षित लेनदार को कर्मचारियों का बकाया चुकाए जाने से पहले भुगतान न किया जाए। इसलिए, हम अपीलकर्ता बैंक के पक्ष में कोई भी राशि तुरंत जारी करने में असमर्थ हैं।"

18. सबसे पहले, इस मामले के तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठाया गया था, वह नहीं उठाया गया था। दूसरे, न्यायालय ने ऐसा अवलोकन करने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया। इसलिए, यह मात्र एक आज्ञापत्र था और बाध्यकारी

मिसाल के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता। इसे बाध्यकारी मिसाल बनाने के लिए, न्यायालय को सीधे ऐसे मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। ऐसा कोई मुद्दा होना चाहिए जिसे उचित तर्क द्वारा निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए ताकि इसे बाध्यकारी मिसाल का रंग दिया जा सके।

19. हालांकि, आंध्रा बैंक (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यही प्रश्न विचारार्थ आया था। उस मामले के तथ्य यह थे कि विलय की योजना के तहत डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तंबाकू प्रभाग की परिसंपत्तियों और संपत्तियों को इसकी सहायक कंपनी न्यू टोबैको लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया था। सहायक कंपनी आंध्रा बैंक से विविध वित्तीय ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही थी, जो इसका सुरक्षित लेनदार था। आंध्रा बैंक ने अपने बकाये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था। समापन याचिका भी दायर की गई थी। अंत में, सहायक कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया और कंपनी की परिसंपत्तियों को आधिकारिक परिसमापक द्वारा अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया गया। उक्त अलग मुकदमे में नियुक्त रिसीवरों द्वारा कुछ परिसंपत्तियों को बेच दिया गया था, लेकिन कंपनी के पुनरुद्धार के एक मामले की मंजूरी के मद्देनजर समापन आदेश पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, पुनरुद्धार की यह योजना विफल रही। इस प्रकार, कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों को बेचने का निर्देश दिया गया। कंपनी न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय से कर्मचारियों और कामगारों के वेतन का भुगतान किया जाए। इसमें, आंध्रा बैंक एक सुरक्षित ऋणदाता था, कामगारों के बकाया अधिनियम की धारा 529 और 529ए के तहत देय थे और कंपनी के अन्य ऋणदाता भी थे। बड़ी पीठ ने विभिन्न निर्णयों पर विचार किया और अंत में, इलाहाबाद बैंक (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर टिप्पणी करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"26. इस प्रकार, इस प्रकार की टिप्पणी न तो तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जानी आवश्यक थी और न ही धारा 529ए(1) (ए) में निहित स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा से इसका समर्थन मिलता है। इसलिए हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इलाहाबाद बैंक में इस न्यायालय का निष्कर्ष उपर्युक्त सीमा तक सही कानून निर्धारित नहीं करता है।

27. न्यायालय ने नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन बनाम पी.आर. रामकृष्णन पर भी गलत तरीके से भरोसा किया। इसमें जो प्रश्न उठा वह केवल समापन कार्यवाही में श्रमिकों की सुनवाई के अधिकार के संबंध में था। इसलिए उक्त निर्णय लागू नहीं था।

निर्धारण

28. दिनांक 12-10-1993 के आदेश के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विभिन्न निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिया:

"आंध्र बैंक को न्यू के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को तत्काल वेतन वितरित करने के उद्देश्य से आधिकारिक परिसमापक को 38 लाख

रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। टोबैको कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता और दुर्गापुर दोनों जगहों पर, आगामी पूजा से पहले। आधिकारिक परिसमापक आगामी पूजा से पहले, न्यू टोबैको कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को उपरोक्त वेतन का भुगतान करेगा।

29. उक्त निर्देश के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया गया है। पक्षों की दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया। विद्वान न्यायाधीश को उक्त निर्देश जारी करने में क्या मजबूरी थी, यह स्पष्ट नहीं है। - क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न पर भी विचार नहीं किया गया।

30. क्या अपीलकर्ताओं के दावे के मुकाबले पिछले बकाया के उनके दावे को ध्यान में रखते हुए कामगारों को तदर्थ आधार पर भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है, इस पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। जब कोई मामला आरओबी अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है, तो धारा 19(19) के अनुसार, सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी क्योंकि यह "धारा 529ए के प्रावधानों के अनुसार" शब्दों से योग्य है। इस प्रकार, सुरक्षित लेनदारों के दावों पर असुरक्षित लेनदारों पर प्राथमिकता देते हुए विचार किया जाना आवश्यक है, लेकिन उनका दावा कामगारों के साथ समान होगा।" (जोर दिया गया)

20. आंध्र बैंक (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि देय बकाया राशि में से कामगारों का अधिमान्य प्रभार है, लेकिन अधिनियम की धारा 529ए के तहत संरक्षित सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि को कामगारों की बकाया राशि के साथ समान दर्जा दिया जाना चाहिए, बाद वाले को कोई वरीयता दिए बिना।

21. सबसे पहले, यह एक समान शक्ति वाली पीठ है, इसलिए मुझे आंध्र बैंक (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का पालन न करने का कोई कारण नहीं दिखता है और दूसरी बात, किसी भी अन्य व्याख्या से अधिनियम की धारा 529 और 529ए के संशोधित प्रावधानों की अंतर्निहित उत्पत्ति में विधायी संतुलन को नुकसान पहुंचने की संभावना है।

22. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इलाहाबाद बैंक (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की घोषणा से पहले, इस न्यायालय का स्थापित दृष्टिकोण यह था कि सुरक्षित लेनदारों और कामगारों का प्रभार अधिनियम की धारा 529 ए के दायरे में समान रूप से आएगा। [यूको बैंक (सुप्रा) देखें]। उपयोगी रूप से, ए.पी. वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक [(2000) 7 एससीसी 291] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ भी दिया जा सकता है, जिसमें यह न्यायालय राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के प्रावधानों और इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या इन प्रावधानों को अधिनियम की धारा 529 और 529 ए के तहत कामगारों के समान प्रभार की अनदेखी करते हुए लागू किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने उस मामले में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत संपत्ति की बिक्री के संबंध में कुछ शर्तें लगाई थीं ताकि अधिनियम की धारा 529ए के प्रावधानों के तहत परिकल्पित समरूप

प्रभार की रक्षा की जा सके। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के अलावा, इस न्यायालय ने यह भी माना कि समरूप प्रभार को बनाए रखा जाना चाहिए और यह भी कहा कि:

"इसलिए, हमारी राय है कि धारा 529 की उपधारा (1) और धारा 529ए के उपरोक्त प्रावधान, 1951 के अधिनियम की धारा 29 को नियंत्रित करेंगे। दूसरे शब्दों में, 1951 के अधिनियम की धारा 29 के तहत संपत्ति बेचने के वैधानिक अधिकार का प्रयोग कंपनी अधिनियम की धारा 529 के प्रावधान द्वारा बनाए गए श्रमिकों को समान प्रभार के अधिकारों के साथ किया जाना चाहिए। धारा 529 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत, परिसमापक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने और उपरोक्त समान प्रभार को लागू करने का हकदार होगा। इसलिए, कंपनी न्यायालय द्वारा उपरोक्त शर्तें लगाने का पूर्ण औचित्य था, ताकि आधिकारिक परिसमापक कंपनी न्यायालय की देखरेख में अपने कार्य का उचित ढंग से निर्वहन कर सके, क्योंकि कंपनी अधिनियम की नई धारा 529ए कंपनी न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य प्रदान करती है कि श्रमिकों के बकाया का भुगतान उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी ऋणों से पहले किया जाए। धारा। विधानमंडल ने 1985 में कंपनी अधिनियम में सामाजिक उद्देश्य से संशोधन किया है, अर्थात् श्रमिकों के बकाया की रक्षा करना। यदि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए शर्तें नहीं लगाई जाती हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि सुरक्षित ऋणदाता श्रमिकों के उपरोक्त समान अधिकार को नष्ट कर सकता है।"

23. योजना और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि एक सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा को त्याग सकता है, समापन कार्यवाही में भाग ले सकता है और जब भी आमंत्रित किया जाता है, आधिकारिक परिसमापक के समक्ष अपना दावा दायर कर सकता है। आंध्र बैंक (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सिद्धांत कहा है कि सुरक्षित लेनदारों और कामगारों की बकाया राशि उनके निर्वहन के वरीयता क्रम के संबंध में समान होगी। यह, निश्चित रूप से, अधिनियम की धारा 529 और 529 ए में बताई गई शर्तों को पूरा करने के अधीन है। धारा 529 की उप-धारा (1) का प्रावधान, एक काल्पनिक कल्पना द्वारा, कामगारों की बकाया राशि को सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि के साथ समान बनाता है और ऐसी सुरक्षा के प्रवर्तन से प्राप्त राशि पर कामगारों के पक्ष में एक प्रभार बनाता है, जो उसमें कामगारों के हिस्से की सीमा तक है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, धारा 529 की उपधारा (3) (सी) के तहत 'कर्मचारियों का हिस्सा' स्पष्ट किया जा चुका है, जिसके अनुसार कंपनी के किसी सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति के संबंध में, कर्मचारियों के हिस्से का अर्थ वह राशि होगी जो प्रतिभूति के मूल्य के साथ उसी अनुपात में होगी जैसा कि कर्मचारियों के बकाए की राशि, कर्मचारियों के बकाए की राशि और सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों की राशि के योग से होती है। इस उपधारा का उदाहरण उस तरीके को प्रदान करता है जिसमें कर्मचारियों के हिस्से की गणना की जानी है। एक बार जब कर्मचारियों के हिस्से की गणना कर ली जाती है, तो धारा 529ए के अनुसार, इसे फिर से सुरक्षित लेनदार के ऋणों के बराबर भार के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तरार्द्ध के मामले में, भार उस सीमा तक सीमित होगा, जिस सीमा तक ऐसा ऋण धारा 529 की उपधारा (1) के

परंतुक के खंड (सी) के अंतर्गत अधिमान्य भुगतान के लिए ऐसे बकाए के साथ बराबर है। कामगारों और सुरक्षित लेनदारों को देय बकाया राशि का भुगतान अन्य सभी ऋणों से पहले किया जाना चाहिए। लेकिन सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो अधिनियम की धारा 529 के तहत कामगारों के पक्ष में सुरक्षा छोड़ने के बाद भी अप्राप्त रहती है।

24. किसी सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षा का त्याग करने के लिए निश्चित रूप से उसके द्वारा आधिकारिक परिसमापक द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में मात्र दावा दायर करने से कहीं अधिक सचेत कार्य की आवश्यकता होती है। एक बार जब सुरक्षित लेनदार परिसमापक के माध्यम से सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री जैसी आगे की कार्रवाई करता है और कंपनी न्यायालय के नियंत्रण के अधीन होता है, तो वह अधिनियम की धारा 529 और 529ए के तहत तर्कसंगत भुगतान योजना का हिस्सा होगा।

25. आंध्र बैंक (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 25 और 26 में कानून पर चर्चा करने के बाद, निर्णय के पैराग्राफ 30 में स्पष्ट रूप से माना कि सुरक्षित लेनदारों के दावों पर असुरक्षित लेनदारों पर प्राथमिकता देते हुए विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उनका दावा श्रमिकों के साथ समान होगा। मेरे विचार में, यह कानून की सही व्याख्या है।

26. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने सुरक्षित लेनदारों के समापन से बाहर रहने और इसलिए अधिनियम की धारा 529 ए के अनुसार समरूप प्रभार के लाभ के हकदार नहीं होने के संबंध में भी एक मुद्दा उठाया। प्रतिवादी संख्या 8 के अनुसार, उन्होंने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए थे और उन्होंने अपना दावा कभी नहीं छोड़ा था। इस प्रतिवादी के अनुसार, वे अपनी सुरक्षा से कामगारों के हिस्से को निकालने के परिणामस्वरूप अपने पूरे बकाए की वसूली नहीं कर पाए हैं। यह भी उनका तर्क है कि अधिनियम की धारा 529 (1) के प्रावधान के तहत लाभ प्राप्त करने के बाद, कामगारों के लिए बाकी प्रावधानों की अवहेलना करना और धारा 529 ए के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या 8 को लाभ से वंचित करना खुला नहीं है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अपीलकर्ता का तर्क है कि सुरक्षित लेनदारों ने अपनी सुरक्षा छोड़ दी है और समापन कार्यवाही में शामिल हो गए हैं और वे दिवालियापन अधिनियम की धारा 47(2) के अंतर्गत आते हैं। परिणामस्वरूप धारा 529ए(1)(बी) के प्रावधान लागू नहीं होते।

27. एक सुरक्षित लेनदार, जिसके पास समापन में कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार है, केवल उस उपाय को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाए बिना और अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए बिना ओ.आर.टी. या किसी अन्य विशेष मंच के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने से समापन कार्यवाही से बाहर नहीं होगा। यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री कंपनी न्यायालय के नियंत्रण के अधीन आधिकारिक परिसमापक द्वारा की जाती है और ऐसी राशियों का उपयोग सुरक्षित लेनदार के ऋणों के साथ-साथ धारा 529 और 529 ए के तहत बनाए गए श्रमिकों के वैधानिक प्रभार के निर्वहन के लिए किया जाता है, तो, प्रभावी रूप से, सुरक्षित लेनदार को समापन कार्यवाही में भाग

लेने वाला माना जाएगा और उससे बाहर नहीं होगा। यह इस कारण से है कि एक सुरक्षित लेनदार को अपने कानूनी अधिकार की रक्षा करने और दावे को समय से बाधित होने से बचाने के लिए किसी अन्य मंच के समक्ष याचिका दायर करके कदम उठाने पड़ते हैं। इसके विपरीत, यदि वह कंपनी कानून के चारों कोनों में अपनी सुरक्षा का एहसास करता है, यानी आधिकारिक परिसमापक और कंपनी न्यायालय के समक्ष, तो उस स्थिति में यह मानना संभव नहीं होगा कि ऐसे सुरक्षित लेनदार ने समापन कार्यवाही में भाग लेने का अपना विकल्प छोड़ दिया है। हालाँकि, मामला बिल्कुल अलग होगा जहाँ सुरक्षित लेनदार न केवल विशेष मंच के समक्ष याचिका दायर करने का चुनाव करता है, बल्कि अपनी सुरक्षा का एहसास करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाता है और कार्यवाही को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाता है, ऐसी स्थिति में, निष्कर्ष यह होना चाहिए कि ऐसा सुरक्षित लेनदार 'समापन कार्यवाही के बाहर' खड़ा है।

28. इसी तरह, यह भी कहा जा सकता है कि एक सुरक्षित लेनदार जो दावा पेश करने के बाद, लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों के बाहर उपाय किए बिना, आधिकारिक परिसमापक के समक्ष दावा दायर करता है, अपनी सुरक्षा छोड़ देता है और आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से बिक्री आय के वितरण के लिए सहमत होता है, जो कंपनी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है, उसे हमेशा 'समापन कार्यवाही से बाहर नहीं' कहा जा सकता है। हालाँकि, जहाँ वह एक याचिका पेश करता है, उस पर आगे बढ़ता है और कंपनी न्यायालय के बाहर एक मंच के समक्ष सुरक्षा की वसूली चाहता है, तो वह स्पष्ट रूप से केवल दावा दायर करने से परे उपाय करता है और वह 'समापन कार्यवाही से बाहर' व्यक्ति होगा और अधिनियम की धारा 529 के प्रावधान के अनुसार आधिकारिक परिसमापक द्वारा लागू किए गए अधिकारों के अधीन होगा। जैसा कि इस न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक (सुप्रा) के मामले में भी माना है, सुरक्षित लेनदार को समापन याचिका में भाग लेने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने होंगे।

29. आईसीआईसीआई बैंक (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने यह विचार किया था कि उसके द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में आधिकारिक परिसमापक के पास दावे का हलफनामा या सबूत दाखिल करना दिवालियापन अधिनियम की धारा 47(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा अपनी सुरक्षा का त्याग करने के बराबर नहीं है। इसी निर्णय में न्यायालय ने यह भी कहा कि 'केवल इसलिए कि श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदार को देय ऋण एक दूसरे के साथ समान रूप से व्यवहार किए जाते हैं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सुरक्षित लेनदारों के बीच परस्पर प्राथमिकताओं की अवधारणा को पूरी तरह से नकार दिया गया है।' न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि त्याग किसी विशिष्ट कार्य और सुरक्षित लेनदार की ओर से सचेत निर्णय के आधार पर होना चाहिए। इसी तरह, सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए बिना सीमा को बचाने के लिए विशेष फोरम के समक्ष कार्यवाही दायर करने का यह अर्थ नहीं होगा कि सुरक्षित लेनदार समापन कार्यवाही से बाहर हो गया है।

30. पक्षों द्वारा उठाए गए संबंधित तर्कों से एक तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष उसके द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अपनी सुरक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा, सुरक्षा धारा 529(1) और उसके

प्रावधान के दायरे में सख्ती से प्राप्त की गई थी। इसे धारा 529ए(1) (बी) के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि सुरक्षित ऋणदाता ने ऋणदाताओं के सामान्य लाभ के लिए अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ी है, बल्कि दिवालियापन अधिनियम की धारा 47(1) के अनुसार इसे प्राप्त किया है। इस संबंध में अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क उचित नहीं है। यदि वर्तमान मामले के तथ्यों में इस तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो यह आंध्र बैंक (सुप्रा) और आईसीआईसीआई बैंक (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांतों के विपरीत होगा। यह पहले ही देखा जा चुका है कि धारा 529ए के प्रावधान अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी अन्य प्रावधान द्वारा नियंत्रित और/या अधीन नहीं हैं। एक बार धारा 529(1) के प्रावधान में बताई गई दोहरी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाता है, तो धारा 529 के प्रावधान के खंड (सी) के तहत परिकल्पित योजना धारा 529ए के साथ अधिनियम की धारा 529ए के साथ लागू हो जाएगी। न्यायालय इस वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि कानून के निर्माताओं का इरादा यह नहीं हो सकता था कि सार्वजनिक निधियों, उदाहरण के लिए, सुरक्षित लेनदारों (जैसे बैंकों) के धन को सामान्य रूप से ऋणदाताओं के लाभ के लिए पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए, भले ही कानून में एक निश्चित सुरक्षा हो, खासकर तब, जब सुरक्षा ऐसे सुरक्षित लेनदारों के बकाए की वसूली के लिए सीमित सीमा तक, यदि पूरी तरह से नहीं, पर्याप्त हो सकती है। इस प्रकार, इन प्रावधानों की योजना को व्यावहारिक बनाने और स्वीकृत वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुरूप समझने की आवश्यकता है। यह ठीक इन्हीं कारणों से है कि मैं यह विचार कर रहा हूँ कि कामगारों के शुल्क के साथ-साथ सुरक्षित लेनदारों के शुल्क को अन्य सभी पर वरीयता दी जानी चाहिए, लेकिन सुरक्षा की बिक्री या अन्यथा से प्राप्त राशियों पर परस्पर समान शुल्क के साथ।

31. कानून पर उपरोक्त चर्चा और इस न्यायालय के निर्णयों से, निम्नलिखित सिद्धांतों को सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है:

1. दिवालियापन के नियम या प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, 1920 के प्रावधान अधिनियम की धारा 529 के प्रावधानों के तहत दिवालिया कंपनी के समापन में लागू होंगे, लेकिन अधिनियम की धारा 529 (1) के खंड (ए) से (सी) के अनुसार इसका सीमित अनुप्रयोग है।
2. दिवालियापन अधिनियम के प्रावधान और यहां तक कि अधिनियम की धारा 529 भी अधिनियम की धारा 529 ए के दायरे और आवेदन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।
3. दावों को आमंत्रित करने वाले आधिकारिक परिसमापक द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में सुरक्षित लेनदार द्वारा केवल एक हलफनामा या मांग प्रस्तुत करना समापन कार्यवाही में प्रभावी भागीदारी के बराबर नहीं होगा (संदर्भ आईसीआईसीआई बैंक (सुप्रा))।
4. किसी सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय या फोरम के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि सुरक्षित लेनदार समापन कार्यवाही से बाहर है, जब तक कि वह उन कार्यवाहियों को आगे

बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावी कदम नहीं उठाता और अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रक्रिया के बावजूद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेता।

5. धारा 529(1) के प्रावधान में दो निर्धारित विषय-वस्तुएँ हैं, जिन्हें संचयी रूप से पूरा किया जाना है। इसमें आने वाले 'और' शब्द को 'संयोजक' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि 'वियोजक' के रूप में।

विषय-वस्तु यह है कि, सबसे पहले, यह प्रावधान एक सुरक्षित ऋणदाता की प्रतिभूति पर कामगारों के पक्ष में समान प्रभार की एक कानूनी कल्पना बनाता है और, दूसरे, सुरक्षित ऋणदाता को कानून के अनुसार अपने बकाये की वसूली के लिए अपनी प्रतिभूति के त्याग के विपरीत अपनी प्रतिभूति प्राप्त करनी चाहिए।

6. त्याग सुरक्षित ऋणदाता की ओर से सचेत कार्य होना चाहिए तथा निहितार्थ द्वारा व्याख्यायित नहीं किया जा सकता।

7. सुरक्षित ऋणदाता तथा धारा 529ए के अनुसार गणना किए गए अनुपात में कामगारों की बकाया राशि अन्य सभी बकाया राशियों पर वरीयता के आधार पर भुगतान किए जाने योग्य है, लेकिन वे परस्पर समान हैं। (संदर्भ: आंध्रा बैंक (सुप्रा)।

32. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, उच्च न्यायालय के निर्णय में, जहाँ तक यह माना गया है कि श्रमिकों और सुरक्षित लेनदारों के शुल्क समान होने चाहिए, कोई त्रुटि नहीं की जा सकती। हालाँकि, जहाँ विद्वान एकल न्यायाधीश और साथ ही उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विधि की त्रुटि की है, वह है एक ओर श्रमिकों और दूसरी ओर सुरक्षित लेनदारों के बीच अंशों की गणना और समायोजन। विशेष रूप से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सुरक्षित लेनदारों से वसूल की गई राशि को श्रमिकों और सुरक्षित लेनदारों के बीच उनके संबंधित स्वीकृत दावों के 50 प्रतिशत के बराबर अनुपात में वितरित करने का निर्देश दिया। यह आदेश और गणना उपरोक्त प्रावधानों की मूल योजना के विपरीत है, विशेष रूप से श्रमिकों के हिस्से के निर्धारण के संबंध में। रिकॉर्ड से पता चलता है कि गणना में एक ओर त्रुटि यह है कि हालाँकि सुरक्षित परिसंपत्तियों से कुल बिक्री आय 108.90 करोड़ रुपये थी, लेकिन न्यायालय ने केवल 101 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जो कि श्रमिकों और सुरक्षित लेनदारों को भुगतान की जाने वाली निर्देशित राशि का कुल योग है। इस प्रकार, इस संबंध में वैधानिक प्रावधानों को लागू करने में कानून की त्रुटि हुई है। उच्च न्यायालय ने यह नहीं देखा कि कंपनी न्यायालय ने कानून के अनुसार गणना और संगणना नहीं की है। कंपनी न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय को धारा 529(1) और धारा 529(3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों के हिस्से पर विचार करना चाहिए था और उसके बाद अधिनियम की धारा 529ए और 530 के अनुसार अन्य सभी असुरक्षित लेनदारों के संबंध में इसके अधिभावी अधिमान्य भुगतान पर विचार करना चाहिए था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, न्यायालय यूएमआई की असुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से आधिकारिक परिसमापक द्वारा प्राप्त भुगतान का निपटान कर सकता है। इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों और यहाँ वर्णित कानून के अनुसार राशियों की पुनर्गणना की जानी आवश्यक है।

33. वर्तमान मामले में, सुरक्षित लेनदार ने अपनी सुरक्षा प्राप्त की है, लेकिन लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए समापन कार्यवाही के सामान्य हॉच पॉट में सुरक्षा या उसकी रसीदें डाले बिना। इस प्रकार, दिवाला अधिनियम की धारा 47(1) के अनुसार, वर्तमान मामले में सुरक्षित लेनदार, प्राप्त की गई शुद्ध राशि को घटाकर, उसे देय शेष राशि का हकदार है। यदि सुरक्षित लेनदार ने लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए सुरक्षा प्राप्त करने और/या त्यागने के साथ समापन कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लिया होता और अधिनियम की धारा 529 के अनुपालन तक सीमित नहीं होता, तो वह अधिनियम की धारा 529ए के लाभ का हकदार नहीं होता। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, यहाँ ऐसा मामला नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पार्टियों की सहमति से, राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है और अधिनियम की धारा 529 के अनुसार श्रमिकों के साथ-साथ सुरक्षित लेनदारों द्वारा उपयोग की जा चुकी है, जो स्पष्ट रूप से, मेरे विचार में, न्यायालय के आदेश के अनुसार समायोजन के अधीन है।

34. पूर्वोक्त कारणों से, आंध्र बैंक (सुप्रा) में व्यक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय को ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित लेनदारों और कर्मचारियों के बीच समान रूप से देय राशि की पुनः गणना करनी चाहिए। 35. इसलिए, मैं मामले को कंपनी न्यायालय को वापस भेजता हूँ ताकि वह ऊपर बताए गए सिद्धांतों को लागू करे और संबंधित पक्षों को देय राशि की गणना नए सिरे से और कानून के अनुसार करे।

ए.के. पटनायक, जे. 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. हमने इस मामले में अपने सम्मानीय भाई स्वतंत्र कुमार, जे. की विद्वत्तापूर्ण राय को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, लेकिन बहुत सम्मान के साथ हम कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'कंपनी अधिनियम') की धारा 529 और 529 ए की उनकी व्याख्या से सहमत होने में असमर्थ हैं।

3. कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529 ए की अपनी व्याख्या देने से पहले, हम अपीलकर्ता द्वारा बताए गए प्रासंगिक तथ्यों को बहुत संक्षेप में बता सकते हैं। यू.एम.आई. स्पेशल स्टील लिमिटेड (संक्षेप में 'कंपनी') कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है। कंपनी बीमार हो गई और बी.आई.एफ.आर. के समक्ष गई, लेकिन बी.आई.एफ.आर. ने अपनी राय दिनांक 08.03.2002 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। 05.08.2003 को झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने कंपनी को बंद करने के आदेश पारित किए और कंपनी के संबंध में परिसमापन कार्यवाही करने और कंपनी की संपत्ति, पुस्तकों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए आधिकारिक परिसमापक को परिसमापक नियुक्त किया। फिर परिसमापक ने कंपनी की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया और कंपनी की कुछ संपत्तियों को बेच दिया और सुरक्षित लेनदारों को 93,64,93,586 रुपये और श्रमिकों को 8,19,22,371.12 रुपये का भुगतान किया, जो मजदूरी के लिए उनके सत्यापित दावों का 50% था। जब परिसमापक ने कुछ और संपत्तियां बेचीं और 8,51,01,000 रुपये प्राप्त किए, तो अपीलकर्ता ने आई.ए. दायर किया। 1511/2008 को उच्च न्यायालय के विद्वान कंपनी

न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क दिया गया कि चेन्नई, पुडुचेरी, फरीदाबाद और कोलकाता में स्थित कंपनी की संपत्तियां, जो बेची गई हैं, ऐसी संपत्तियां नहीं हैं, जिन पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों का कोई अधिकार है और इसलिए, उन्हें इन संपत्तियों के संबंध में सुरक्षित लेनदार नहीं माना जा सकता है और इन संपत्तियों से प्राप्त आय को अलग से रखा जाना चाहिए और बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कोई भी राशि वितरित करने से पहले श्रमिकों को भुगतान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, जिन बैंकों/वित्तीय संस्थानों ने कंपनी को ऋण और अग्रिम दिए थे, उन्होंने विद्वान कंपनी न्यायाधीश के समक्ष तर्क दिया कि श्रमिकों और सुरक्षित लेनदारों का दावा समान है और कंपनी अधिनियम बंधक संपत्ति और कंपनी की अन्य संपत्तियों के बीच कोई अंतर नहीं करता है और इसलिए, कंपनी की संपत्तियों से प्राप्त पूरी बिक्री आय को सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों के बीच आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 28.11.2008 में माना कि कर्मचारियों और सुरक्षित लेनदारों का कंपनी की संपत्तियों पर समान प्रभार है जैसा कि कंपनी अधिनियम की धाराओं 529 और 529ए और आंध्रा बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक एवं अन्य [(2005) 5 एससीसी 75] में इस न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष कंपनी अपील संख्या 10/2008 दायर की और तर्क दिया कि सुरक्षित लेनदारों का कर्मचारियों के साथ केवल उन संपत्तियों पर समान प्रभार है जो कंपनी द्वारा सुरक्षित लेनदारों को सुरक्षा के रूप में पेश की गई हैं। हालांकि, अपने आदेश दिनांक 30.09.2010 में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि सुरक्षित लेनदारों का कर्मचारियों के साथ धारा 529 और 529ए के अंतर्गत कंपनी की सभी संपत्तियों पर समान प्रभार है झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 30.09.2010 के इसी आदेश को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील में चुनौती दी गई है।

4. हमने अपीलकर्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और हमारा विचार है कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529ए के प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं की है। आसान संदर्भ के लिए, कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529ए, जिन्हें एक साथ पढ़ा जाना है, नीचे उद्धृत की गई हैं:

"529. दिवालिया कंपनियों के समापन में दिवालियापन नियमों का अनुप्रयोग.-

(1) दिवालिया कंपनी के समापन में, वही नियम लागू होंगे और उनका पालन किया जाएगा-

(क) साबित करने योग्य ऋण;

(ख) वार्षिकी और भावी और आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन; और

(ग) सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार; जो दिवालिया घोषित व्यक्तियों की सम्पदा के संबंध में दिवालियापन के कानून के तहत फिलहाल लागू हैं:

बशर्ते कि प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा, उसमें कामगारों के हिस्से की सीमा तक कामगारों के पक्ष में समान प्रभार के अधीन मानी जाएगी, और, जहां एक सुरक्षित लेनदार, अपनी सुरक्षा को त्यागने और अपने ऋण को साबित करने के बजाय, अपने प्रतिभूति, -

(क) परिसमापक कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने और ऐसे भार को लागू करने का हकदार होगा;

(ख) ऐसे भार को लागू करने के माध्यम से परिसमापक द्वारा वसूल की गई कोई राशि कर्मकारों के बकाया के निर्वहन के लिए समान रूप से लागू की जाएगी; तथा।

(ग) ऐसे सुरक्षित ऋणदाता को देय ऋण का उतना भाग, जो इस परंतुक के पूर्वगामी उपबंधों के आधार पर उसके द्वारा वसूल नहीं किया जा सका या उसकी प्रतिभूति में कर्मकारों के हिस्से की राशि, जो भी कम हो, धारा 529क के प्रयोजनों के लिए कर्मकारों के बकाया के साथ समतुल्य होगी।

(2) सभी व्यक्ति जो किसी भी ऐसे मामले में कंपनी की परिसंपत्तियों से लाभांश प्राप्त करने और साबित करने के हकदार होंगे, समापन के अंतर्गत आ सकते हैं, और कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे कर सकते हैं, जैसा कि वे क्रमशः इस धारा के आधार पर करने के हकदार हैं:

परंतु यदि कोई सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति को त्यागने और अपने ऋण के लिए साबित करने के बजाय अपनी प्रतिभूति को वसूलने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति की वसूली से पहले प्रतिभूति के संरक्षण के लिए परिसमापक (यदि कोई अनंतिम परिसमापक भी शामिल है) द्वारा किए गए व्यय के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण.-इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, प्रतिभूति के संरक्षण के लिए परिसमापक द्वारा किए गए व्यय का वह हिस्सा, जिसका भुगतान जब्त लेनदार करने के लिए उत्तरदायी होगा, वह संपूर्ण व्यय होगा, जिसमें से वह राशि घटाई जाएगी जो ऐसे व्ययों के लिए प्रतिभूति के संबंध में कामगारों के हिस्से के समान अनुपात में होगी, जो प्रतिभूति के मूल्य के लिए है। (3) इस धारा, धारा 529क और धारा 530 के प्रयोजनों के लिए, -

(क) किसी कंपनी के संबंध में "कर्मचारी" से कंपनी के कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अर्थ में कर्मकार हैं;

(ख) किसी कंपनी के संबंध में "कर्मचारियों की देयता" से कंपनी से उसके कर्मकारों को देय निम्नलिखित राशियों का योग अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) सभी मजदूरी या वेतन, जिसमें समय या टुकड़ा काम के लिए देय मजदूरी और कंपनी को दी गई सेवाओं के संबंध में किसी भी कर्मचारी द्वारा कमीशन के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप से अर्जित वेतन शामिल है, और औद्योगिक विवाद

अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी कर्मचारी को देय कोई मुआवजा;

(ii) किसी भी कर्मचारी को देय होने वाला सभी उपार्जित अवकाश पारिश्रमिक, या उसकी मृत्यु के मामले में उसके अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को, समापन आदेश या संकल्प से पहले या उसके प्रभाव से उसके रोजगार की समाप्ति पर;

(iii) जब तक कि कंपनी का परिसमापन केवल पुनर्निर्माण या किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन के प्रयोजनों के लिए स्वेच्छा से न किया जा रहा हो, या जब तक कि कंपनी के पास परिसमापन के प्रारंभ में, बीमाकर्ताओं के साथ ऐसे अनुबंध के अंतर्गत अधिकार न हों जैसा कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 14 में उल्लिखित है, जो कर्मकार को हस्तांतरित और निहित किए जा सकने योग्य हों, कंपनी के किसी कर्मकार की मृत्यु या विकलांगता के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत किसी प्रतिकर या प्रतिकर के लिए देयता के संबंध में देय सभी राशियां;

(iv) कंपनी द्वारा संधारित भविष्य निधि, पेंशन निधि, ग्रेच्युटी निधि या कर्मकारों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि से किसी कर्मकार को देय सभी राशियां;

(ग) किसी कंपनी के किसी सुरक्षित ऋणदाता की प्रतिभूति के संबंध में "कर्मचारियों का भाग" से वह राशि अभिप्रेत है जो प्रतिभूति के मूल्य के साथ उसी अनुपात में होती है जो कर्मकारों की देयताओं की राशि के योग से होती है -

(i) कर्मकारों की देयताओं की राशि; और

(ii) सुरक्षित ऋणदाताओं को देय ऋणों की राशि।"

"529ए. अधिभावी अधिमान्य भुगतान। इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी के परिसमापन में-

(क) कर्मचारियों के बकाया; और

(ख) सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण, जिस सीमा तक ऐसे ऋण धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड

(ग) के अंतर्गत आते हैं, ऐसे बकाया के साथ समान रूप से,

अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता के आधार पर चुकाए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अंतर्गत देय ऋणों का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा, जब तक कि परिसंपत्तियां उन्हें पूरा करने के लिए अपर्याप्त न हों, ऐसी स्थिति में उन्हें समान अनुपात में कम किया जाएगा।"

5. धारा 529 की उपधारा (1) के खंड (सी) को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दिवालिया कंपनी के परिसमापन में सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकारों के संबंध में वही नियम लागू होंगे और उनका पालन किया जाएगा जो दिवालिया घोषित किए गए व्यक्तियों की संपदा के संबंध में दिवालियापन कानून के तहत फिलहाल लागू हैं। इसका मतलब यह होगा कि दिवालिया कंपनी, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, के सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार वही होंगे जो

दिवालिया घोषित किए गए व्यक्तियों की संपदा के संबंध में सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार हैं जो दिवालियापन कानून के तहत लागू हैं। झारखंड राज्य में प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, 1920 (संक्षेप में 'दिवाला अधिनियम') लागू है और तदनुसार परिसमापन की जा रही दिवालिया कंपनी की परिसंपत्तियों के संबंध में सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार दिवालियापन अधिनियम के समान होंगे। कंपनी अधिनियम में "लेनदार" और "सुरक्षित लेनदार" की परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए हमें इन दो शब्दों की परिभाषा के लिए दिवाला अधिनियम का संदर्भ लेना होगा। दिवाला अधिनियम की धारा 2(1)(ए) और धारा 2(1)(ई) में 'लेनदार' और 'असुरक्षित लेनदार' शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

"2(1)(क) "लेनदार" में डिक्री-धारक शामिल है, "ऋण" में निर्णय-ऋण शामिल है, और "देनदार" में निर्णय-देनदार शामिल है।"

"2(1)(ई) "सुरक्षित लेनदार" का अर्थ है वह व्यक्ति जो देनदार की संपत्ति या उसके किसी भाग पर देनदार से बकाया ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में बंधक, भार या ग्रहणाधिकार रखता है।"

दिवाला अधिनियम की धारा 2(1)(ए) में 'लेनदार' की परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह एक समावेशी परिभाषा है न कि संपूर्ण परिभाषा, जबकि दिवाला अधिनियम की धारा 2(1)(ई) में 'सुरक्षित लेनदार' की परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह एक संपूर्ण परिभाषा है और सुरक्षित लेनदार का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो देनदार की संपत्ति या उसके किसी भाग पर देनदार से उसे देय ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में बंधक, भार या ग्रहणाधिकार रखता है। परिणाम यह है कि धारा 529(1)(सी) में अभिव्यक्ति 'सुरक्षित लेनदार' का अर्थ होगा ऐसा व्यक्ति जो कंपनी की संपत्ति या उसके किसी भाग पर कंपनी से उसे देय ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में बंधक, भार या ग्रहणाधिकार रखता है। इसलिए, जहां कोई ऋणदाता, जैसे कि इस मामले में बैंक या वित्तीय संस्थान, कंपनी की संपत्ति या उसके किसी भाग पर कंपनी से बकाया ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में कोई बंधक, प्रभार या ग्रहणाधिकार नहीं रखता है, वह कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529 ए के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित ऋणदाता नहीं है।

6. दिवालियापन अधिनियम की धारा 45 और 47, जो क्रमशः असुरक्षित ऋणदाताओं और सुरक्षित ऋणदाताओं के अधिकारों को सूचीबद्ध करती है, नीचे उद्धृत की गई है:

"45. भविष्य में देय ऋण.- जब देनदार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो ऋणदाता उस ऋण को देय न होने के लिए इस प्रकार साबित कर सकता है मानो वह वर्तमान में देय हो, और अन्य ऋणदाताओं के साथ समान रूप से लाभांश प्राप्त कर सकता है, जिसमें से केवल छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की छूट काट ली जाएगी, जो लाभांश की घोषणा से लेकर उस समय तक की गणना की जाएगी जब ऋण देय हो जाता, उन शर्तों के अनुसार जिन पर यह अनुबंधित किया गया था।"

"47. सुरक्षित लेनदार.-

(1) जहां सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति प्राप्त करता है, वह प्राप्त शुद्ध राशि को घटाने के पश्चात, अपने बकाया शेष के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जहां सुरक्षित लेनदार लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए अपनी प्रतिभूति का त्याग करता है, वह अपने संपूर्ण ऋण के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

(3) जहां सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति प्राप्त नहीं करता है या त्यागता नहीं है, वह अपने ऋण को अनुसूची में दर्ज कराने का हकदार होने से पहले, अपने प्रमाण में अपनी प्रतिभूति का विवरण और वह मूल्य जिस पर वह उसका मूल्यांकन करता है, बताएगा और वह इस प्रकार निर्धारित मूल्य को घटाने के पश्चात केवल अपने बकाया शेष के संबंध में लाभांश प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) जहां प्रतिभूति का इस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है, न्यायालय, मूल्यांकन से पूर्व किसी भी समय निर्धारित मूल्य का लेनदार को भुगतान करके उसे मोचन कर सकता है।

(5) जहां लेनदार अपनी प्रतिभूति का मूल्यांकन करने के पश्चात, बाद में उसे प्राप्त करता है, प्राप्त शुद्ध राशि को लेनदार द्वारा पहले किए गए किसी मूल्यांकन की राशि के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, और सभी मामलों में ऋणदाता द्वारा किए गए संशोधित मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा। (6) जहां कोई सुरक्षित ऋणदाता इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, उसे किसी भी लाभांश में सभी शेयरों से बाहर रखा जाएगा।

ऊपर उद्धृत दो प्रावधानों को पढ़ने पर, हम पाते हैं कि एक असुरक्षित लेनदार दिवालियापन अधिनियम की धारा 45 के तहत अन्य लेनदारों के साथ समान रूप से लाभांश प्राप्त करने का हकदार है, जबकि सुरक्षित लेनदार को दिवालियापन अधिनियम की धारा 47 के तहत सुरक्षा प्राप्त करने और उस पर बकाया शेष राशि के लिए साबित करने का अधिकार है, यदि ऐसी सुरक्षा प्राप्त करने पर वह अपने लिए देय पूरी राशि वसूल करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, यदि सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुनता है, लेकिन लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए इसे त्याग देता है, तो वह अपने पूरे ऋण के लिए साबित कर सकता है। इसलिए, दिवालियापन अधिनियम के तहत, सुरक्षित लेनदार के पास केवल उस विशेष संपत्ति पर अधिकार होता है, जिसे उसे सुरक्षा के रूप में पेश किया जाता है और सभी लेनदारों के पास दिवालिया घोषित व्यक्ति की संपत्ति में शामिल अन्य संपत्तियों पर समान अधिकार होते हैं।

7. इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के खंड (सी) के प्रावधानों के साथ-साथ सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकारों से संबंधित दिवालियापन अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने पर, एक दिवालिया कंपनी के सुरक्षित लेनदार को, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, केवल उस कंपनी की विशेष संपत्ति या परिसंपत्ति पर अधिकार है, जो सुरक्षित लेनदार को सुरक्षा के रूप में पेश की गई है और असुरक्षित लेनदारों को दिवालिया कंपनी की अन्य सभी संपत्तियों या परिसंपत्तियों पर अधिकार है। अब हम यह जांच कर सकते हैं कि क्या

कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) का प्रावधान किसी दिवालिया कंपनी के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के इन अधिकारों में कोई अंतर करता है।

8. कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के प्रावधान का पहला भाग यह बताता है कि प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा, उसमें मौजूद कर्मचारियों के हिस्से की सीमा तक, कर्मचारियों के पक्ष में समान प्रभार के अधीन मानी जाएगी। कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (3) के खंड (सी) में यह बताया गया है कि किसी कंपनी के किसी सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा के संबंध में "कर्मचारियों का हिस्सा" का अर्थ वह राशि है जो सुरक्षा के मूल्य के साथ उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में कर्मचारियों की बकाया राशि का योग होता है - (i) कर्मचारियों की बकाया राशि; और (ii) सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों की राशि। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के खंड (सी) के प्रावधान का पहला अंग प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की सुरक्षा पर कामगारों के हिस्से की सीमा तक एक वैधानिक भार बनाता है। दूसरे शब्दों में, दिवालिया कंपनी की प्रत्येक संपत्ति या परिसंपत्ति, जिसे बंद किया जा रहा है और जिसे सुरक्षित लेनदार को सुरक्षा के रूप में पेश किया गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के प्रावधान के आधार पर कामगारों के हिस्से की सीमा तक कामगारों के पक्ष में एक समान प्रभार के अधीन है। इसलिए, धारा 529 की उपधारा (1) के प्रावधान का पहला अंग कंपनी की संपत्ति या परिसंपत्ति पर सुरक्षित लेनदार के पक्ष में कोई समान प्रभार नहीं बनाता है, जिसे कंपनी द्वारा सुरक्षा के रूप में नहीं दिया गया है। सुरक्षित ऋणदाता। बल्कि, इस परंतुक के प्रथम भाग की भाषा यह स्पष्ट करती है कि कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के अतिरिक्त बनाए गए प्रत्येक सुरक्षित ऋणदाता की सुरक्षा कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के प्रथम भाग द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में समान प्रभार के अधीन है।

9. कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक का दूसरा भाग उन परिणामों का वर्णन करता है, जो तब सामने आते हैं, जब कोई सुरक्षित ऋणदाता अपनी प्रतिभूति छोड़ने और अपने ऋण को साबित करने के बजाय अपनी प्रतिभूति वसूलने का विकल्प चुनता है। ये परिणाम हैं: (क) परिसमापक को कामगारों का प्रतिनिधित्व करने और ऐसे प्रभार को लागू करने का अधिकार होगा; (ख) ऐसे प्रभार के प्रवर्तन के माध्यम से परिसमापक द्वारा वसूल की गई कोई भी राशि कामगारों के बकाया के निर्वहन के लिए उचित रूप से लागू होगी; और (ग) ऐसे सुरक्षित ऋणदाता को देय ऋण का वह हिस्सा, जो इस परंतुक के पूर्वगामी प्रावधानों के आधार पर उसके द्वारा वसूल नहीं किया जा सका या उसकी प्रतिभूति में कामगारों के हिस्से की राशि, जो भी कम हो, कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए कामगारों के बकाया के साथ समान होगी। इस मामले में प्रासंगिक बात खंड (सी) में दिया गया परिणाम है, जो यह प्रावधान करता है कि सुरक्षित ऋणदाता को देय ऋण का वह भाग, जो ऋणदाता की प्रतिभूति पर कामगारों के पक्ष में बनाए गए वैधानिक भार के कारण वसूल नहीं किया जा सका, कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए उसमें उल्लिखित सीमा तक कामगारों के भाग के साथ समान दर्जा प्राप्त होगा। इसलिए, इस प्रावधान का खंड (सी)

कंपनी की उन संपत्तियों या परिसंपत्तियों पर समान दर्जा प्राप्त भार नहीं बनाता है, जिन्हें सुरक्षित ऋणदाता को प्रतिभूति के रूप में पेश नहीं किया गया है, लेकिन कामगारों के पक्ष में बनाए गए वैधानिक भार के कारण किसी विशेष सुरक्षित ऋणदाता द्वारा सुरक्षा के नुकसान की सीमा तक, सुरक्षित ऋणदाता को कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के तहत अधिभावी तरजीही भुगतान के लिए कामगारों के साथ समान दर्जा प्राप्त है।

10. कंपनी अधिनियम की धारा 529ए में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी कंपनी के परिसमापन में - (ए) श्रमिकों की देयताएं; और (बी) सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण, जिस सीमा तक ऐसे ऋण कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के प्रावधान के खंड (सी) के तहत ऐसे बकाया के साथ समान हैं, अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि श्रमिकों की देयताएं और केवल सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण, जिस सीमा तक ऐसे ऋण धारा 529 की उपधारा (1) के प्रावधान के खंड (सी) के तहत श्रमिकों की देयताओं के साथ समान हैं, कंपनी के अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता प्राप्त करेंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 529ए का संपूर्ण उद्देश्य (क) कामगारों के बकाए और (2) सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों का अधिभावी अधिमान्य भुगतान सुनिश्चित करना है, जहां तक ऐसे ऋण धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ग) के अंतर्गत कामगारों के बकाए के समान हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के आरंभिक भाग में गैर-बाधक खंड का प्रभाव यह है कि कंपनी अधिनियम और दिवाला अधिनियम सहित किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कामगारों के बकाए और सुरक्षित लेनदार के बकाए, जो धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत कामगारों के पक्ष में समान प्रभार के कारण वसूल नहीं किए जा सके और केवल जहां तक ऐसे बकाए, उक्त परंतुक के खंड (ग) के अंतर्गत कामगारों के बकाए के समान हैं, अन्य सभी बकायों पर प्राथमिकता के आधार पर चुकाए जाते हैं।

11. अब हम कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (2) का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति जो किसी भी ऐसे मामले में कंपनी की परिसंपत्तियों से लाभांश साबित करने और प्राप्त करने के हकदार होंगे, समापन के तहत आ सकते हैं, और कंपनी के खिलाफ ऐसे दावे कर सकते हैं जैसा कि वे क्रमशः कंपनी अधिनियम की धारा 529 के आधार पर करने के हकदार हैं। उप-धारा (2) के प्रावधान में, हालांकि, कहा गया है कि यदि एक सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा को त्यागने और अपने ऋण के लिए साबित करने के बजाय अपनी सुरक्षा को वसूलने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह सुरक्षित लेनदार द्वारा इसकी वसूली से पहले सुरक्षा के संरक्षण के लिए परिसमापक (एक अनंतिम परिसमापक, यदि कोई हो, सहित) द्वारा किए गए खर्चों के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (2) में यह प्रावधान स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि दिवालिया कंपनी के सभी सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार कंपनी की परिसंपत्तियों से लाभांश प्राप्त करने और साबित करने के हकदार हैं, लेकिन जहां तक सुरक्षित लेनदारों का संबंध है, उनके पास या तो अपनी प्रतिभूति छोड़ने का विकल्प है, जिस स्थिति में वे किसी भी असुरक्षित

लेनदार की तरह कंपनी की परिसंपत्तियों से लाभांश प्राप्त करने और साबित करने के हकदार होंगे या प्रतिभूति छोड़ने के बजाय प्रतिभूति प्राप्त करने का विकल्प होगा, जिस स्थिति में उन्हें परिसमापक को केवल प्रतिभूति के संरक्षण के लिए व्यय का भुगतान करना होगा, जब तक कि वे समापन कार्यवाही के अलावा अन्य उचित कार्यवाही द्वारा प्रतिभूति प्राप्त नहीं कर लेते।

12. इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529ए के प्रावधानों की व्याख्या पर हमारे निष्कर्ष ये हैं:

(i) एक सुरक्षित लेनदार के पास कंपनी की किसी विशेष संपत्ति या परिसंपत्ति पर ही अधिकार होता है। सुरक्षित लेनदार के पास या तो अपनी प्रतिभूति प्राप्त करने या अपनी प्रतिभूति त्यागने का विकल्प होता है। यदि सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति त्यागता है, तो किसी अन्य असुरक्षित लेनदार की तरह, वह समापन कार्यवाही में कंपनी की परिसंपत्तियों से लाभांश प्राप्त करने और अपने बकाया ऋण को साबित करने का हकदार है। यदि सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति प्राप्त करने का विकल्प चुनता है, तो वह समापन कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही में अपनी प्रतिभूति प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन उसे प्रतिभूति प्राप्त होने तक प्रतिभूति के संरक्षण की लागत परिसमापक को देनी होगी।

(ii) प्रत्येक सुरक्षित ऋणदाता की प्रतिभूति पर, कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के खंड (ग) के परन्तुक के प्रथम भाग में, कंपनी से श्रमिकों के बकाया के संबंध में उनके पक्ष में एक वैधानिक प्रभार बनाया गया है और यह प्रभार सुरक्षित ऋणदाता के प्रभार के समतुल्य है तथा कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (3) के खंड (ग) में वर्णित अनुसार कंपनी के किसी सुरक्षित ऋणदाता की प्रतिभूति के संबंध में श्रमिकों के हिस्से की सीमा तक है।

(iii) जहां कोई सुरक्षित ऋणदाता प्रतिभूति वसूलने का विकल्प चुनता है, वहां ऐसे सुरक्षित ऋणदाता को देय ऋण का वह भाग, जो श्रमिकों के पक्ष में बनाए गए वैधानिक प्रभार के आधार पर उसके द्वारा वसूल नहीं किया जा सका, कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए श्रमिकों के बकाया के समतुल्य होगा।

(iv) कामगारों की देयताएं और जहां सुरक्षित ऋणदाता अपनी प्रतिभूति वसूल करने का विकल्प देता है, वहां सुरक्षित ऋणदाता को ऋण, जहां तक वह कंपनी अधिनियम की धारा 529 की उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (ग) के अधीन कामगारों की देयताओं के समतुल्य है, कंपनी की अन्य सभी देयताओं पर प्राथमिकता के आधार पर चुकाया जाएगा।

13. हमारे उपरोक्त निष्कर्षों के समर्थन में, हम अब कुछ अधिकारियों का हवाला दे सकते हैं। इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य [(2000) 4 एससीसी 406] में, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने एम. जगन्नाथ राव, जे. के माध्यम से बोलते हुए, सुरक्षित लेनदारों के इन अधिकारों पर निर्णय के पैराग्राफ 62, 63, 64 और 65 में चर्चा की, जैसा कि धारा में बताया गया है, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

"62. सुरक्षित लेनदार दो श्रेणियों में आते हैं। वे जो कंपनी न्यायालय के समक्ष जाना चाहते हैं और वे जो समापन के बाहर खड़े रहना पसंद करते हैं।

63. ऊपर उल्लिखित सुरक्षित लेनदारों की पहली श्रेणी वे हैं जो धारा 529 में उल्लिखित दिवालियापन नियमों के अनुसार अपनी सुरक्षा को त्याग कर लाभांश के लिए कंपनी न्यायालय के समक्ष जाते हैं। दिवालियापन नियम प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम की धारा 45 से 50 में निहित हैं। उस अधिनियम की धारा 47 (2) में कहा गया है कि एक सुरक्षित लेनदार जो आधिकारिक परिसमापक के समक्ष आना चाहता है, उसे अपना ऋण साबित करना होगा और वह अपना ऋण तभी साबित कर सकता है जब वह लेनदारों के सामान्य निकाय के लाभ के लिए अपनी सुरक्षा को त्याग दे। उस स्थिति में, वह असुरक्षित लेनदारों के साथ रैंक करेगा और उसे धारा 529 (2) के अनुसार अपना लाभांश लेना होगा। आज तक, केनरा बैंक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इस नियम के अंतर्गत आना चाहता है या नहीं। श्रेणी।

64. ऊपर उल्लिखित सुरक्षित लेनदारों की दूसरी श्रेणी वे हैं जो धारा 529-ए(1) (बी) के अंतर्गत आते हैं, धारा 529(1) के प्रावधान (सी) के साथ। ये वे हैं जो अपनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए समापन से बाहर खड़े होने का विकल्प चुनते हैं। चूंकि धारा 19(19) केवल धारा 529-ए के अनुसार सुरक्षित लेनदारों को वितरण की अनुमति देती है, इसलिए उक्त श्रेणी में वे लेनदार शामिल हैं जो समापन से बाहर हैं। ये सुरक्षित लेनदार कुछ परिस्थितियों में कंपनी न्यायालय (यहां न्यायाधिकरण) के समक्ष आ सकते हैं और कंपनी न्यायालय (यहां न्यायाधिकरण) में पड़ी अन्य धनराशियों में से राशियों की रिहाई के लिए अन्य सभी लेनदारों पर प्राथमिकता का दावा कर सकते हैं। यह सीमित प्राथमिकता धारा 529-ए(1) में घोषित की गई है, लेकिन यह केवल धारा 529-ए(1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट सीमा तक ही सीमित है। उक्त प्रावधान धारा 529(1) के परंतुक के खंड (सी) को संदर्भित करता है और उक्त प्रावधान के दायरे को समझना आवश्यक है।

65. धारा 529(1) के प्रावधान के खंड (सी) के तहत, सुरक्षित लेनदार की प्राथमिकता जो समापन से बाहर है, धारा 529(3) (सी) में परिभाषित "कर्मचारियों के हिस्से" तक सीमित है। "कर्मचारियों के हिस्से" का अर्थ है वह राशि जो सुरक्षा के मूल्य से मेल खाती है, वही अनुपात जो कर्मचारियों के बकाया की राशि (ए) कर्मचारियों के बकाया और (बी) सभी लेनदारों को देय ऋणों की राशि के योग से मेल खाती है। इसे उक्त प्रावधान के तहत उदाहरण में समझाया गया है। यदि कर्मचारियों के कुल बकाया, मान लें, 1 लाख रुपये हैं और सभी सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण 3 लाख रुपये है, तो उन सभी को देय कुल राशि 4 लाख रुपये होगी। इसलिए, कर्मचारियों का हिस्सा 25% (4 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये) होगा। अब यदि किसी सुरक्षित ऋणदाता (जैसे केनरा बैंक) की प्रतिभूति का मूल्य 1 लाख रुपये है, तो "कर्मचारी का हिस्सा" 25,000 रुपये होगा जो कि उक्त सुरक्षित ऋणदाता द्वारा साझा की जाने वाली आनुपातिक राशि है। धारा 529-

ए(1) (बी) के आधार पर न्यायाधिकरण में उपलब्ध अन्य धनराशियों में से अन्य सभी पर उसकी प्राथमिकता केवल 25,000 रुपये तक सीमित है।"

14. आंध्रा बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक एवं अन्य (सुप्रा) में, न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा के माध्यम से तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भी पैराग्राफ 22 और 23 में सुरक्षित ऋणदाताओं के अधिकारों पर चर्चा की है, जिसके प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत हैं:

"22. उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, सुरक्षित लेनदारों के पास दो विकल्प हैं (i) वे कंपनी न्यायाधीश के समक्ष जाने की इच्छा कर सकते हैं; या (ii) वे समापन कार्यवाही से बाहर रह सकते हैं। दूसरी श्रेणी के सुरक्षित लेनदार, तथापि, धारा 529(1) से संलग्न परंतुक (सी) के साथ धारा 529-ए(1)(बी) के दायरे में आएंगे। किसी भी सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति के संबंध में धारा 529 की उपधारा (3) के परंतुक (सी) में निहित "कर्मचारियों का हिस्सा" का अर्थ है वह राशि जो प्रतिभूति के मूल्य के साथ उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में कर्मकारों की बकाया राशि (ए) कर्मकारों की बकाया राशि, और (बी) सभी (इस प्रकार सुरक्षित) लेनदारों को देय ऋणों की राशि के योग से होती है।..."

"23. धारा 529-ए की भाषा भी स्पष्ट और असंदिग्ध है, जिसके अनुसार, कामगारों के बकाया या सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण, धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के खण्ड (सी) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे ऋणों की सीमा तक, ऐसे बकाया के साथ समरूप, अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता होगी। एक बार जब कामगारों का हिस्सा धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक (सी) के अनुसार तय हो जाता है, तो निर्विवाद रूप से कामगारों के साथ-साथ सुरक्षित लेनदारों के दावों का भी धारा 529-ए के अनुसार भुगतान करना होगा।"

15. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के विद्वान कंपनी न्यायाधीश और खंडपीठ ने माना है कि सभी सुरक्षित लेनदारों के साथ-साथ कर्मचारियों का कंपनी की सभी संपत्तियों या परिसंपत्तियों पर समान अधिकार है और वे कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के तहत अन्य सभी देय राशियों पर अधिमान्य भुगतान के माध्यम से कर्मचारियों की बकाया राशि के साथ-साथ सुरक्षित लेनदारों के रूप में बकाया राशि के हकदार होंगे। उच्च न्यायालय के विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने अपने आदेश के समर्थन में आंध्र बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय की कुछ टिप्पणियों पर भी भरोसा किया है। आंध्र बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय की ये टिप्पणियाँ इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय की टिप्पणियों के संदर्भ में थीं और उन्हें निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"25. तथापि, बिंदु (6) का निर्धारण करते समय, इस आशय की एक आकस्मिक टिप्पणी की गई थी कि धारा 529-ए(1)(ए) के कारण "कर्मचारियों के बकाया" को अन्य सभी सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। इस मामले में ऐसा प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इलाहाबाद बैंक निर्विवाद रूप से एक असुरक्षित लेनदार था।

"26. इस प्रकार, इस तरह की टिप्पणी न तो उसमें मौजूद तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किए जाने की आवश्यकता थी और न ही धारा 529-ए(1) (ए) में निहित स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा से इसका समर्थन मिलता है। इसलिए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इलाहाबाद बैंक में इस न्यायालय का निष्कर्ष उपर्युक्त सीमा तक सही कानून निर्धारित नहीं करता है।"

इस प्रकार, आंध्र बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक एवं अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियां इस प्रकार हैं कि श्रमिकों को सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और यह धारा 529ए (1) की स्पष्ट भाषा के कारण है कि श्रमिकों की बकाया राशि और सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि, जहां तक ऐसे ऋण धारा 529 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अंतर्गत आते हैं, ऐसी बकाया राशि के साथ समान रूप से अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता के आधार पर चुकाई जानी होगी। लेकिन जैसा कि हमने माना है, केवल वहीं जहां धारा 529 की उपधारा (1) के खंड (सी) के परंतुक के दूसरे भाग के अंतर्गत सुरक्षित लेनदार सुरक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुनता है और परंतुक के पहले भाग के अंतर्गत कामगारों के पक्ष में बनाए गए समरूप प्रभार के कारण अपने बकाए का एक हिस्सा प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो उसे धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (सी) में इंगित सीमा तक समरूप प्रभार प्राप्त होता है और केवल सुरक्षित लेनदार को देय ऐसे ऋण जो धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (सी) के अंतर्गत कामगारों के बकाए के साथ समरूप रैंक के हैं, उन्हें कंपनी के अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता के आधार पर चुकाया जाना है। उच्च न्यायालय यह मानकर स्पष्ट रूप से गलती कर बैठा है कि सुरक्षित लेनदारों को देय सभी ऋण कामगारों के बकाए के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन्हें कंपनी के अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता के आधार पर कामगारों के बकाए के साथ चुकाया जाना होगा।

16. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के विवादित आदेश और आई.ए. संख्या 1511/2008 में विद्वान कंपनी न्यायाधीश के दिनांक 28.11.2008 के आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को इस निर्णय में निर्धारित कानून के अनुसार आई.ए. तय करने के लिए विद्वान कंपनी न्यायाधीश को भेजा जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

के.के.टी.

अपील स्वीकार की जाती है और
मामला कंपनी न्यायालय को वापस
भेजा जाता है।

(यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।)